REPORT OF THE OVERSIGHT COMMITTEE, NGT, U.P, LUCKNOW

IN THE MATTER OF:-

ORIGINAL APPLICATION NO. 490/2019

T.S. SINGH

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	REPORT OF OVERSIGHT COMMITTEE	1-8
2.	Annexure - 1	9-31
3.	Annexure - 2	32-63

UPDATED REPORT OF THE OVERSIGHT COMMITTEE IN COMPLIANCE OF THE ORDER OF THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PASSED IN OA NO. 490 OF 2019 IN RE: T.S. SINGH VS STATE OF UTTAR PRADESH WITH REGARD TO PREVENTION OF DISCHARGE OF UNTREATED SEWAGE INTO SAI RIVER AT PRATAPGARH IN UTTAR PRADESH

***

1. Introduction:

The Hon'ble NGT vide order dated 05.08.2019 had considered the issue relating to discharge of untreated sewage into Sai River at Pratapgarh in Uttar Pradesh. Prior to it, the Hon'ble NGT had taken up this case on 05.08.2019, 02.01.2020, 07.10.2020 and 09.06.2021. The issue has been pending solution for the past 11 Years and accountability needs to be fixed for continued pollution. In this case diversion/misappropriation of funds has also been noticed which calls for disciplinary and criminal actions against concerned persons. The Hon'ble NGT in its order dated 09.06.2021 had considered the reports of Oversight Committee dated 01.06.2021 and action taken report of the Department of Urban Development, U.P. dated 08.06.2021. Directions are as follows:

> *"7. We have heard learned Counsel for the State of UP and also the Additional Chief Secretary, Urban Development Department, U.P. present by video conferencing. We are in agreement with the report of the OC that there is no satisfactory progress. There is continued violation of directions of the Hon'ble Supreme Court in Paryavaran Suraksha Samiti & Anr. Vs. Union of India & Ors.4 and orders of this Tribunal. This is resulting in contamination of drains and then of River Sai, which later meets Ganga.*
>
> *8. Contamination of water sources is a punishable offence under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 for the last 49 years. The stand of the State atleast since 30.8.2019 (when first report was filed by the PCB as noted earlier) is that the STP was started in 2009 and completed in 2010 to the extent of 95%. The same is not been made operational for the last 11 years. Earlier funds have been illegally misappropriated but no meaningful action is being taken against the violators. Action plan in terms of order of this Tribunal dated 20.9.2018 in OA 673/2018 was prepared which included requisite STP being operated within the timeline mentioned therein even though more than two years have passed. Repeatedly, plea is that unless NMCG funds are available*

from Central Government, the Municipal Council concerned and the Urban Development Department will not comply with the constitutional obligation of preventing discharge of pollution is being reiterated against the mandate of law laid down by the Hon'ble Supreme Court in Municipal Council, Ratlam v. Shri Virdhichand & Ors. as well as Paryavaran Suraksha Samiti & Anr. Vs. Union of India & Ors., supra. This plea is being raised again in spite of its rejection by the Tribunal earlier. Non-availability of NMCG funds cannot be a justification for not stopping pollution. If funds are available from any source, the Tribunal has no objection to the same but in any case, the concerned authorities cannot avoid their responsibility under the public trust doctrine, if necessary, by raising funds, as per directions in the Supreme Court judgment."

"11. Thus, even after all possible opportunities, there is either inability to understand simple legal position or unwillingness to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court and this Tribunal out of defiance. Above statement shows that for making STP, which is said to have been 95% complete 11 years back, and allotted funds having been misappropriated, operation will require 12 months after award of work. There being no firm date of award of work, timeline given has no practical meaning. It is also not being delinked from NMCG. Thus, in effect the stand is that it will never be done as NMCG has no fixed commitment of providing funds sought within reasonable time. Already 11 years have gone by. In our view this is irresponsible behaviour of the officer who perhaps knows nothing about the value of environmental norms and effect of violation on public health, food safety, aquatic life and over-all environment. The river stretch is loaded with daily disposal of 8.5 MLD sewage effluent causing septicity of the river on account of high fecal coliform and BOD. In spite of mandate of the Water Act, 1974 and the judgement of the Hon'ble Supreme Court in Paryavaran Suraksha Samiti & Anr. Vs. Union of India & Ors, supra, fixing deadline of 31.3.2018 for taking all necessary steps to ensure treatment of sewage before discharge in water bodies, there is no willingness of some officers to even take small step to prevent discharge of pollution in water sources and untenable excuses are raised. This attitude has led to large number of water bodies, including most revered river Ganga remaining polluted. As already mentioned, River Sai involved in the present case is also a tributary of Ganga. The stretch of river Sai between Unnao to Jaunpur is falling under category P-V. UP PCB has not provided feedback to the OC on formulation of Sai Action Plan and functioning of RRC. Further, PCB has failed to provide water quality data of river Sai, as directed vide order dated 07.10.2020.

12. The above serious defiance may call for stringent action when violation of order of the NGT itself is criminal offence under Section 26 of the NGT Act, 2010 punishable with sentence upto three years and fine upto rupees ten crore. It is also executable as decree of Civil Court under Section 25 of the NGT Act read with Section 51(d) CPC, including by civil imprisonment.

13. Taking a lenient view in the matter and giving last opportunity for remedial action, factoring in the pandemic and the plea that the officer has been given this charge since February, 2021, but to uphold public interest and rule of law, we direct imposing of cut of Rs. 1,000/- per month from the salary of the officer till compliance, with further warning of more stringent action unless there is compliance and change in attitude towards compliance of law. If compliance is ensured and affidavit filed to the satisfaction of this Tribunal before the next date, the Tribunal may consider restoring the cut and refunding the deducted amount. The Member Secretary, UP PCB may explain why action be not taken for failure of the PCB pointed out hereinabove – not providing water quality data of Sai, functioning of RRC and reporting the progress to the Chief Secretary. The PCB may also report further progress in the matter of recovery of compensation assessed and initiation of prosecution proposed."

2. Compliance Status of UP Jal Nigam and Urban Development Department:

The highlights of the compliance report of UP Jal Nigam dated 11.10.2021 are as follows:

Arrangement of funds: The Urban Development Department, Government of India has sanctioned Rs 20.7234 Cr for the interception and diversion of 4 drains discharging their waste into the River Sai along with completion of remaining construction work of STP from the State Budget and released Rs 5.18 Cr to the UP Jal Nigam- The Work Agency, as the first installment. Tender has been invited by the office of office of General Manager, Ganga Pollution Control Unit, UP Jal Nigam (Urban), Prayagraj. Tendering process has been completed with expected date of issuance of letter of award by 10th Nov 2021. The timeline for starting and completion of work are 18.11.2021 and October 2022, respectively. A Gantt chart has been prepared for monitoring the progress of various activities leading to completion of project in time.

a. **Action taken against erring officers:** Originally the estimated cost of the STP was Rs. 18.2174 crores. Out of the total fund received for this project, Rs. 14.9787 crore was utilized and Rs. 3.2387 crore was diverted to other works. As the officials responsible for the diversion had already retired before any departmental proceedings could be initiated against them, an FIR has been

lodged against them on 30.08.2020 under section 409, 419 and 420 of the IPC. The details of the erring officers/agency are as follows:

SL.No.	Name	Designation
1	Sh. Rajesh Khare	Executive Engineer
2	Sh. Rakesh Kumar Srivastava	Divisional Accountant
3	Sh. Rampal Ram	Head Clerk
4	M/s Thermax Ltd., Chinchwad, Pune	Contractor Firm

b.1. One of the above named accused Mr. Rakesh Kumar Srivastava has been arrested.

b.2. The Executive Officer of concerned ULB is on deputation from the Department of Health and Family Welfare to the Department of Urban Development. As per service rules, a charge sheet has been sent to the competent authority of the concerned parent department to initiate disciplinary proceeding against the delinquent official.

c. Action against the Firm: The erring firm M/s Thermax Ltd., Chinchwad, Pune has been black listed by the Chief Engineer for a period of 2 years vide letter dated 30.10.2021.

Detailed compliance report of Urban Development Department is annexed as ***Annexure-1*.**

3. Compliance status of the UPPCB:

The highlights of the compliance report of UPPCB dated 13.10.2021 are as follows:

1. **On water quality:** During the meeting of Oversight committee date 04.10.2021, it was informed by the EO, Pratapgarh that Bioremediation has resulted in improvement of the water quality in these drains. Payment to the service provider is made on the basis of water quality report received every month. The CEO, UPPCB informed that since February 2020 regular monitoring of the drains is being done by

them also. He affirmed that post bioremediation some improvement has been observed in the water quality of the drains. Details shared by him after the meeting is summarized below:

A. A brief of water quality analysis report of the drains is as follows:

S.No.	Sampling point (Name of Drain)	Parameters recorded beyond permissible limit even after Bioremediation process						
		Feb 2020	Mar 2020	Nov 2020	Jan 2021	June 2021	Sep 2021	Oct 2021
1	Ramlila Maidan Drain		BOD, FC	FC	BOD, FC	BOD, FC	BOD, FC, pH, TSS	FC
2	Bhuliyapur Drain		TSS, BOD, FC	BOD, FC	BOD, FC	BOD, FC	BOD, FC, pH, TSS	FC,
3	City Drain	TSS, BOD, FC	BOD FC	BOD, FC	BOD, FC	FC	BOD, FC, pH, TSS	BOD, FC
4	Police line Drain			BOD, FC	BOD, FC	BOD, FC	BOD, FC, pH, TSS	

B. The above table shows that the water quality of these drains is not good and is falling in category- D at all the locations sampled each time. It is not suitable for consumption without conventional treatment and disinfection. Also, it is not suitable for outdoor bathing. Only propagation of wildlife and fisheries could be done in the Sai River. Water samples recorded with high total coliform beyond 5000MPN/100 ml, pH was within the range of 7.18 to 8.38, DO was within the range of 5.4 to 7.8 mg/l, BOD was within the range of 4.2 to 5.2 mg/l.

2. On Environmental Compensation: It was informed that after following the due procedure an environmental compensation of Rs 36.50 crores has been imposed against the Municipal Corporation, Pratapgarh for non-compliance of the directions of Hon'ble NGT. As the Municipality has taken bioremediation measures to prevent the discharge of polluted water

into the river Sai post Feb 2020 on all the drains, there is no need to impose EC further. At present 12.96 MLD sewage is being generated in the Municipal Council, Pratapgarh. For the treatment of this sewage a modular STP was constructed in which arrangements were made to perform screening, aeration and filtration of the sewage. It was informed that it is operational from 15.01.2020. The UPPCB had inspected the Municipal Council, Pratapgarh on 22.02.2020. During the inspection it was found that in the Municipal Council, Pratapgarh only a part of the total amount of sewage generated is being treated within the facility and rest is bypassed through drain which directly falls into River Sai. UPPCB collected the samples of the sewage being bypassed from the STP. The water quality of the samples was found beyond the permissible limit. Thus, Nagar Palika Parishad, Pratapgarh is violating the water (Control of Pollution and Prevention) Act 1974 section 24 and is punishable under section 43. UPPCB have sent a letter to the MoEF&CC for the prosecution of Shri. Mudit Singh, Executive officer, Municipal Committee, Pratapgarh under section-197 of the Code of Criminal Procedure followed by reminder to the Additional Chief Secretary, Urban Development Department. The Additional Chief Secretary, Urban Development Department has informed that the Shri. Mudit Singh, EO, Pratapgarh is on deputation from family welfare since 06.03.2019 to the Urban Development Department. As per service rules, a charge sheet has been prepared by the Urban Development Department for initiating departmental proceedings against him which has been sent to his parent department.

The detailed compliance report of UPPCB is enclosed as ***Annexure-2.***

4. Recommendations

In view of the above we recommend as follows:

1. As the funds has been allocated, the work order is about to be issue and a Gantt chart showing the timelines for the completion of various activities have been submitted, the Urban Development Department may be directed to monitor the progress on monthly basis and submit the progress report to the Oversight Committee to ensure that works get completed in time.

2. From the list of the erring officials it is visible that the responsibility has been fixed only on those directly responsible for executing the project. Had the supervisory officers done their job properly, the diversion could have been detected in time and it would have been possible to take departmental action against the erring officials. This would have also prevented the infrastructure created by spending about Rs. 15 crore of public money from remaining idle for such a long time. The Urban Development Department and Jal Nigam need to identify such supervisory officers in one month and take appropriate action against them in another 6 months.
3. Actions taken against the erring officers is for the misappropriation of funds only. However these officers have also violated the Environmental Protection Act 1986. The UP Government (Home & Urban Department) must ensure that the investigation is completed at the earliest and all culprits are taken to task under the full gamut of law.
4. Monthly water quality reports of 7 months between February 2020 and October 2021 clearly suggest that bioremediation is not being done effectively to control water pollution of the river Sai. EO Pratapgarh need to be directed to ensure that the water quality of the drains discharging into the river Sai is within the permissible limits and the UPPCB needs to be directed to take prompt and effective action in case of non-compliance of environmental laws.
5. The Additional Chief Secretory Urban Development Department may be directed to coordinate the actions taken by various other Departments (such as Home Department and Environment, Forest and Climate Change Department) to ensure complete compliance the order of Hon’ble NGT through monthly monitoring of this case and a copy of the minutes of the meeting be sent to the oversight committee.

The Member Secretary, UPPCB is directed to send this report to the Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi for placing the same before the Hon’ble Tribunal with a copy to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh for necessary action. The report also be uploaded on the website of the Committee.

08-11-2021	08-11-2021
X Anant Kumar Singh	X SVS Rathore
Anant Kumar Singh Member, Oversight Committee Signed by: ANANT KUMAR SINGH	Justice SVS Rathore Chairman, Oversight Committee Signed by: SURENDRA VIKRAM SINGH RATHORE

Nov 08, 2021

Annexures: As above

Please visit our website: ***oscngt.upsdc.gov.in*** for more information.

AN UPDATED REPORT

TO

THE OVERSIGHT COMMITTEE, NGT, U.P, LUCKNOW

IN THE MATTER OF:-

ORIGINAL APPLICATION NO. 490/2019

IN RE: T. S. SINGH

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH

INDEX

S.N.	Particulars	ANNEXURE
1.	**Updated Progress Report**	
2	State Government Order (GO) for Financial Sanction of the project for Construction of STP and tapping of Drains out of State's Budget	ANNEXURE -1
3	Month-wise Timeline of Activities (Gantt Chart)	ANNEXURE-2
4	Final Order regarding Black listing of Firm	ANNEXURE -3
5	Letter to SP Pratapgarh for taking action in FIR	ANNEXURE-4
6	Police report regarding arrest of one accused	ANNEXURE-5
7	Recommendation for Action against Executive Officer	ANNEXURE-6
9	ATR of ULB regarding Interim measure of remediation	ANNEXURE-7

REPORT OF URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT IN OA NO. 490 OF 2019 IN RE: T.S. SINGH VS STATE OF UTTAR PRADESH WITH REGARD TO PREVENTION OF DISCHARGE OF UNTREATED SEWAGE INTO SAI RIVER AT PRATAPGARH IN UTTAR PRADESH

To

Hon'ble Chairman,
Oversight Committee

Respected Sir,

Kindly refer to the report dated October 22, 2021sent by the Oversight Committee, regarding OA 490/2019 (T.S.SINGH Vs State of Uttar Pradesh). It is humbly submitted to this Hon'ble Committee that there has been various sincere efforts made by the Department of Urban Development since the direction passed by Hon'ble Tribunal in the case on 09.06.2021. A summary of progress is as following:

1. **SANCTION OF WORK FROM STATE GOVERNMENT:**

   Although the project for construction of STP was submitted to NMCG and a regular follow-up and sincere efforts were made by state government with NMCG so that an early sanctioning of the project and funding could be arranged by NMCG, however, there had been delay on part of NMCG in sanctioning the project and in pursuance to comply the directions of the Hon'ble Tribunal, the state Government has sanctioned the work of construction of STP and tapping of drains through its own meagre financial resources considering it as top priority work. The financial sanction of the Scheme was approved by the Urban Development Department, Government of UP vide GO number 80/2021/9648/Nau-5-2021-51Budget /2021 dated 27/08/21 under State Sector Scheme (ANNEXURE-1).

2. TIME BOUND COMPLETION OF THE PROJECT:

For timely construction and completion of the project Tender has been already invited by "Office of General Manager, Ganga Pollution Control Unit, UP Jal Nigam (Urban), Prayagraj" and the tendering process is now completed with expected date of issuance of Letter of Award by 10th November and start date of work for construction of STP and tapping of drains is scheduled to be 18.11.2021.

A Gantt chart depicting the timeline of every activity is being attached herewith (ANNEXURE-2). It is submitted that the project shall be completed by October 22. A monthly progress report of the milestones achieved shall be submitted to the Oversight Committee.

3. Blacklisting of the Firm and Action Against Erring Officials:

As submitted in earlier reports the department had initiated suitable action against the firm and erring officials. During last submission it was informed to the Hon'ble Committee that apart from the FIR a show cause notice for clack listing of the firm has been initiated by UPJN. It is submitted that final order regarding blacklisting of the Firm has been issued by UPJN (ANNEXURE -3).

In pursuance of the FIR lodged against the erring personnel, review with Superintendent of Police, District- Pratapgarh has been done by the department (ANNEXURE -4)and the constant monitoring has resulted in arrest of one accused named Rakesh Srivastava (ANNEXURE-5).

As Executive officer of concerned ULB is on deputation in Department of Urban Development, as per service rules a charge-sheet has been sent to

competent authority of the concerned parent department to initiate disciplinary proceeding against the delinquent official. (ANNEXURE-6)

4. Interim Measure for remediation of Drains:

It is submitted that as per ATR submitted by the ULB (dated), ULB is ensuring compliance related to interim measures for remediation of drains.

The above-point wise progress may be considered by the Committee as sincere and utmost priority has been accorded by the dept. of Urban Development to comply the direction of Hon'ble Tribunal for ensuring environmental sanitation.

D.2|11|2021

With sincere regards

(Anurag Yadav)
IAS
Secretary, Urban Development

संख्या- 80 /2021/ 9648 /नौ-5-2021-51बजट/2021

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त 2021

नगर विकास अनुभाग-5

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के सीवरेज एवं जल निकासी योजनान्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में I & D कार्य एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के Overhauling की परियोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपुर्यक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(नागर), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-178/नागर-2/033-1009 दिनांक 03.08.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के सीवरेज एवं जल निकासी योजनान्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में I & D कार्य एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के Overhauling की परियोजना की प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रूपये 2072.34 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **रू0 518.00 लाख (रू0 पांच करोड़ अट्ठारह लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 जल निगम तथा विशेष सचिव/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखा जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(7) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-374/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

S. O. G. O. 2020

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-107-मलजल सेवाएं-03-सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर संख्या- 9-948-दस-20212022, दिनांक 27 अगस्त, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
27.08.2021
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 80/2021/9648 /नौ-5-2021-51बजट/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त, प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियंता (प्र०क्षे०) , उत्तर प्रदेश जल निगम, प्रयागराज।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
9- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
27.08.2021
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

S. O. G. O. 2020

समयबद्ध / महत्वपूर्ण
संख्याः– 11000/नौ–5–21–07रिट/2020

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता (प्रयागराज क्षेत्र),
उत्तर प्रदेश जल निगम, प्रयागराज।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 08 अक्टूबर, 2021

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–490/2019 T.S. Singh vs. State of U.P में पारित आदेश दिनांक 07.10.2020 एवं दिनांक 09.06.2021 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–490/2019 T.S. Singh vs. State of U.P में पारित आदेश दिनांक 07.10.2020 एवं दिनांक 09.06.2021 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के सीवरेज एवं जल निकासी योजनान्तर्गत जनपद–प्रतापगढ़ में I & D कार्य एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट के Overhauling से संबंधित परियोजना हेतु रू0 2072.34 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या–80/2021/9648/नौ–5–2021–51बजट/2021 दिनांक 27.08.2021 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 518.00 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।

2– उल्लेखनीय है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–490/2019 T.S. Singh vs. State of U.P में पारित आदेश दिनांक 09.06.2021 के विरूद्ध शासन की ओर से **मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित की गयी है**, जिसमें इस आशय का शपथपत्र दाखिल किया गया है कि दिनांक 31.08.2021 तक एन0एम0सी0जी0 द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु धनराशि स्वीकृत न किये जाने की स्थिति में राज्य सेक्टर की योजना से उपर्युक्त परियोजना को क्रियाशील करने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, **नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि 27.10.2021 नियत की गयी है।**

3– अतएव उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त शासनादेश दिनांक 27.08.2021 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि से राज्य सेक्टर कार्यक्रम के सीवरेज एवं जल निकासी योजनान्तर्गत जनपद–प्रतापगढ़ में I & D कार्य एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट के Overhauling से संबंधित कार्य की अद्यतन प्रगति से **दिनांक 11.10.2021** तक अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त कार्य चूंकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से आच्छादित है, अतः शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है, इसलिए प्रत्येक सप्ताह कार्य की अद्यतन प्रगति आख्या भी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपिः–प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया व्यक्तिगत ध्यान एवं शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्रत्येक सप्ताह अद्यतन प्रगति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

GO-Tiwari ji-2020 VC

Offce of General Manager, Ganga pollution control unit, U. P. Jal Nigam(Urban),Prayagraj

Action Plan for I&D work . Overhauling of Existing 8.95 MLD STP and pollution abtement works in Belha Nagar Palika Parishad, Pratapgarh

Sl. No.	Description	Period for completion												
		Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22
1	Invitation of Tender	06.10.2021												
2	Opening of Technical bid	29.10.2021												
3	Evaluation of Technical bid		10.11.2021											
4	Opening of Financial Bid		11.11.2021											
5	Evaluation of Financial bid		18.11.2021											
6	Start of Work		20.11.2021											
7	Overhauling of STP Work													
7.1	Approval of Data sheet for E&M Works													
7.2	Supply of E&M Material													
7.3	Erection, repairing and installation													
7.4	Trial testing and commissioning													
8	Interception and Diversion of Drains													
8.1	Approval of design and drawing													
8.2	Construction of Approch channel,screen, Inlet etc													
8.3	Laying of sewer line for I&D and connecting sewer													
8.4	Construction of Drains													
8.5	Interception of drains													
8.6	Trial testing and commissioning													
9	Construction of Boundary wall													
10	Contruction of Office, water testing lab and Traing centre													
11	Contruction of Wetland Treatment Process													
11.1	Approval of design and drawing													
11.2	Construction of Wetland													
11.3	Trial testing and commissioning													
12	Horticulture Work													
13	Disc Filter													
14	Mechanical screens, Sluice gate and other items													
15	Power Connection													

Executive Engineer

General Manager

CE

A·3

द्वेष भावना रहित

प्रधान कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक 09 /क्रय/कान्फ/सामान्य/(2121-0408)/2021 दिनांक 30 /10/2021

कार्यालय ज्ञाप

जनपद प्रतापगढ़ में जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत, 8.95 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट एवं 2 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन से सम्बन्धित कार्यो हेतु अनुबन्ध सं0 10/अधी0अभि0 द्वितीय मण्डल/2008-09 के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, प्रयागराज के साथ अनुबन्ध गठित किया गया । अनुबन्ध के अनुसार कार्य को प्रारम्भ करने की तिथि 15.09.2008 थी । फर्म द्वारा जुलाई 2013 में सीवेज शोधन सयंत्र का निर्माण कर दिया गया था परन्तु अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुरूप सीवेज शोधन सयंत्र का टेस्टिंग कमीशनिंग कार्य पूर्ण नही कराया गया है, जबकि फर्म द्वारा टेस्टिंग एवं कमीशनिंग का भुगतान प्राप्त किया जा चुका है । फर्म द्वारा 1 नग मुख्य पम्पिंग स्टेशन का कार्य पूर्ण नही कराया गया तथा 1 नग मुख्य पम्पिंग स्टेशन का कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया । इस प्रकार फर्म द्वारा अनुबन्ध के स्कोप आफ वर्क में प्राविधानित कार्यो पूर्ण नहीं कराया गया है, जबकि अनुवन्ध की लागत रु 771.00 लाख के सापेक्ष फर्म द्वारा कुल रु 836.70 लाख का भुगतान प्राप्त किया जा चुका है ।

अनुबन्ध में प्राविधानित धारा के अन्तर्गत अनुबन्ध की लागत रु 771.00 लाख का 10 प्रतिशत अर्थात् रु 77.10 लाख अग्रिम दिया गया था, जिसका समायोजन फर्म द्वारा नही कराया गया है एवं अग्रिम के सापेक्ष दी गई बैंक गारण्टी का नवीनीकरण भी नहीं कराया गया है तथा उक्त बैंक गारण्टी की वैधता समाप्त हो चुकी है ।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, प्रतापगढ़ ने अपने पत्र सं0 958/डब्ल्यू-5/20 दिनांक 12.05.2020 द्वारा फर्म को अपने विशेषज्ञ को भेज कर शोधन सयंत्र एवं मुख्य पम्पिंग स्टेशन में दर्शित कमियों को ठीक कराने एवं एस0टी0पी0 को क्रियाशील एवं जनपयोगी बनाने हेतु निर्देशित किया था । तत्पश्चात् अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, प्रयागराज ने अपने पत्र सं0 1524/सीवरेज/35 दिनांक 01.07.2020 द्वारा सूचित किया था कि विषयगत अनुबन्ध के सापेक्ष फर्म द्वारा कराया गया कार्य अपूर्ण है तथा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, प्रतापगढ़ के पत्र सं0 958/डब्ल्यू-5/20 दिनांक 12.05.2020 द्वारा उल्लिखित बिन्दुओं पर आख्या/स्पष्टीकरण यथाशीघ्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था ।

अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, प्रयागराज ने अपने पत्र सं0 670/सीवरेज/20 दिनांक 18.03.2020 द्वारा मुख्य अभियन्ता (प्रयागराज क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम, प्रयागराज को यह भी सूचित किया है कि फर्म द्वारा पत्र सं0 958/डब्ल्यू-5/20 दिनांक 12.05.2020 एवं 1524/सीवरेज/35 दिनांक 01.07.2020 का कोई भी उत्तर नही दिया है तथा एस0टी0पी0 के अवशेष कार्यो को पूर्ण करने एवं सयंत्र को चालू करने में फर्म द्वारा कोई भी रुचि नही ली जा रही है, जिस कारण सीवेज शोधन सयंत्र अक्रियाशील एवं अनपयोगी पड़ी हुई है तथा अशोधित सीवेज सई नदी में प्रवाहित हो रहा है । संयन्त्र क्रियाशील न होने के कारण निर्माण में हुआ व्यय अलाभकारी है तथा विभाग को वित्तीय हानि हुई है ।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, प्रयागराज ने अपने पत्र सं0 670/सीवरेज/20 दिनांक 18.03.2020 एवं मुख्य अभियन्ता (प्रयागराज क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम, प्रयागराज ने अपने पत्र सं0 139/कार्य सामान्य/17 दिनांक 18.03.2021 द्वारा फर्म को काली सूची में डालने की संस्तुति की गई । इस सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्र सं0 04/क्रय/कान्फ/समान्य/2121-0408/2021

क्रमशः 2 पर

Scanned with CamScanner

दिनांक 12.04.2021 द्वारा फर्म को पक्ष विलम्बतम दिनांक 24.04.2021 तक प्रस्तुत करने हेतु कारण दर्शक नोटिस निर्गत किया गया व इसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से फर्म के रजिस्टर्ड पते पर प्रेषित किया गया। कारण दर्शक नोटिस में यह उल्लेख है कि यदि दिनांक 24.04.2021 तक उक्त कदाचार हेतु फर्म को काली सूची में डाले जाने के सम्बन्ध मे कोई उत्तर प्राप्त नही होता है, तो यह माना जायेगा कि फर्म को इस सम्बन्ध में कुछ नही कहना है तथा फर्म के विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु बाध्य होना पड़ेगा, जिसके लिये फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी। उपरोक्त सन्दर्भित कारण दर्शक नोटिस दिनांक 12.04.2021 फर्म के पते पर प्राप्त होना सम्भव न होने के कारण डाक विभाग द्वारा इस कार्यालय को वापस कर दिया गया। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्र सं0 05/क्रय/कान्फ/समान्य/2121-0408/2021 दिनांक 17.05.2021 द्वारा मुख्य अभियन्ता (प्रयागराज क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, प्रयागराज को उक्त कारण दर्शक नोटिस फर्म को प्रेषित करने हेतु दिनांक 20.05.2021 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया। इसके अनुक्रम में अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, प्रयागराज के पत्र सं0 1002/सीवरेज/30 दिनांक 27.05.2021 द्वारा कारण दर्शक नोटिस की प्रति पुनः फर्म को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित की गई। कारण दर्शक नोटिस दिनांक 20.05.2021 के सम्बन्ध में फर्म द्वारा मुख्य अभियन्ता (प्रयागराज क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, प्रयागराज/अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, प्रयागराज के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से नियमित रूप से निर्देशित करने के उपरान्त भी फर्म द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरती गई तथा कार्यो को सुनियोजित तरीके से नही कराया गया व अनुबन्ध के स्कोप आफ वर्क में प्राविधानित कार्यो को पूर्ण नही कराया गया। इस प्रकार प्रतापगढ़ जलोत्सारण योजना अन्तर्गत 8.95 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज शोधन सयंत्र का टेस्टिंग कमीशनिंग कार्य पूर्ण नही किये जाने, 1 नग मुख्य पम्पिंग स्टेशन का कार्य पूर्ण नही कराने एवं 1 नग मुख्य पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ न किये जाने के फलस्वरूप पर्यावरणीय क्षति पहुचाने एवं जनस्वास्थ्य के विपरीत कार्य करने के लिये फर्म उत्तरदायी है।

अतः मुख्य अभियन्ता (प्रयागराज क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, प्रयागराज की संस्तुति एवं प्रथम दृष्टया तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर मे0 थर्मेक्स लिमिटेड, 9-कम्यूनिटी सेण्टर, बंसत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057 को तत्काल प्रभाव से दो वर्ष के लिये काली सूची में डाला जाता है।

(नवीन गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता (क्रय)

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. राज्य मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
5. सयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
6. सयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (नागर/पी.पी.आर.बी.डी.), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)।

क्रमशः 3 पर

9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) ।
11. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) ।
12. अधिशासी अभियन्ता, (ई0डी0पी0 सेल), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की उक्त कार्यालय ज्ञाप विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
13. मे0 थर्मेक्स लिमिटेड, 9-कम्यूनिटी सेण्टर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057 (स्पीड पोस्ट द्वारा) ।

मुख्य अभियन्ता (क्रय)

Scanned with CamScanner

समयबद्ध / महत्वपूर्ण
संख्या:11270 / नौ-5-2021-32बजट / 2020

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा मे,

पुलिस अधीक्षक,
जिला-प्रतापगढ़।

नगर विकास अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 25 अक्टूबर, 2021**

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-490 / 2019 टी0एस0 सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 30.08.2020 को कोतवाली सिटी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) संख्या-0762 के परिप्रेक्ष्य में वांछित कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-8393(1) / नौ-5-2021-32बजट / 2020 दिनांक 08.06.2021 एवं इस संबंध में दूरभाष पर हुई वार्ता का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपरोक्त के संबंध में अवगत कराया जाना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-490 / 2019 टी0एस0 सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य का प्रकरण विचाराधीन है। प्रतापगढ़ नगर के सई नदी में प्रवाहित हो रहे प्रदूषित जल के शोधन हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सीवरेज निस्तारण कार्यान्तर्गत धनराशि रू0 1820.75 लाख की योजना वर्ष 2009-10 में स्वीकृत हुई थी। योजना पर धनराशि रू0 1642.75 लाख व्यय हुआ, शेष धनराशि अन्य योजना पर व्यावर्तित कर दिये जाने के कारण अवशेष निर्माण कार्य वाधित होने तथा एस0टी0पी0 के क्रियाशील न होने की स्थिति में मा0 अधिकरण द्वारा दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उपर्युक्त डायवर्जन किये जाने का तथ्य प्रकाश में आने पर जल निगम द्वारा दोषी पाये गये अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध थाना कोतवाली सिटी, जनपद-प्रतापगढ़ में दिनांक 30.08.2020 को आई0पी0सी0 की धारा-409, 419 एवं 420 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) संख्या-0762 दर्ज करायी गयी थी (प्रति संलग्न)। प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि 27.10.2021 निर्धारित है।

3- अतएव इस संबंध में पुनः अनुस्मरण कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में दोषी पाये गये अधिकारियों / कर्मचारियों की गिरफ्तारी कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं प्रकरण में अबतक की गयी कार्यवाही से तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1-जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
2-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

GO-Tiwari J-2020-VC

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/समयबद्ध

संख्या:8393(1)/नौ–5–2021–32बजट/2020

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

पुलिस अधीक्षक,
जिला–प्रतापगढ़।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 08 जून, 2021

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0 ए0 संख्या–490/2019 टी0 एस0 सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 30.08.2020 को कोतवाली सिटी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) संख्या–0762 के परिप्रेक्ष्य में वांछित कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराया जाना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–490/2019 टी0एस0 सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य का प्रकरण विचाराधीन है। प्रतापगढ़ नगर के सई नदी में प्रवाहित हो रहे प्रदूषित जल के शोधन हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सीवरेज निस्तारण कार्यान्तर्गत धनराशि रू0 1820.75 लाख की योजना वर्ष 2009–10 में स्वीकृत हुई थी। योजना पर धनराशि रू0 1642.75 लाख व्यय हुआ, शेष धनराशि अन्य योजना पर व्यावर्तित कर दिये जाने के कारण अवशेष निर्माण कार्य वाधित होने तथा एस0टी0पी0 के कियाशील न होने की स्थिति में मा0 अधिकरण द्वारा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उपर्युक्त डायवर्जन किये जाने का तथ्य प्रकाश में आने पर जल निगम द्वारा दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध थाना कोतवाली सिटी, जनपद–प्रतापगढ़ में दिनांक 30.08.2020 को आई0पी0सी0 की धारा–409, 419 एवं 420 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) संख्या–0762 दर्ज करायी गयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) संख्या–0762 की प्रति संलग्न है।

2– अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों की गिरफ्तारी कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं कृत–कार्यवाही से शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।

2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

साही

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): प्रतापगढ़ P.S. (थाना): कोतवाली सिटी Year (वर्ष): 2020
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0762 Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय) 30/08/2020 17:08 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	409
2	भा द सं 1860	419
3	भा द सं 1860	420

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): Date From (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 30/08/2020 Time (समय): 17:08 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 034 Date & Time (दिनांक और समय): 30/08/2020 17:08 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता):
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): श्री घनश्याम द्विवेदी अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम प्रतापगढ़
(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1985 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	शासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ,उ0प्र0 जल निगम प्रतापगढ़,कोतवाली सिटी,प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	शासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ,उ0प्र0 जल निगम प्रतापगढ़,कोतवाली सिटी,प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश,भारत

1

Scanned with CamScanner

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	राजेश खरे सेवानिवृत्त अधिशासी		पिता का नाम : स्व0 करतार खरे	1. अल्लापुर अमिताभ बच्चन मार्ग, प्रयागराज,उत्तर प्रदेश,भारत
2	राकेश कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त खण्डीय लेखाकार		पिता का नाम : स्व0 पन्नालाल श्रीवास्तव	1. 341/2ए शास्त्री नगर, सदियापुर, प्रयागराज,उत्तर प्रदेश,भारत
3	रामफल राम सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक कार्यालय खण्डीय लेखाकार		पिता का नाम : स्व0 दरोगा राम	1. काशीपुर मिसन्धौरी पोस्ट बलिया ,पिन-277201 ,बलिया,उत्तर प्रदेश,भारत
4	मेसर्स थर्मेक्स लिमिटेड			1. रजिस्टर्ड ऑफिस डी एम0डी0सी0 , इन्डस्ट्रियल एरिया आर0डी0 ए0, जी0ए0 रोड चिन्चवड पुणे-411019, चिंचवड,पुणे शहर,महाराष्ट्र,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपति श्रेणी)	Property Type (सम्पति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, प्रतापगढ़। पत्रांक: 1669/ अ-14/13 दिनांक 28/08/2020 सेवा में, थानाध्यक्ष, थाना कोतवाली सिटी, प्रतापगढ़। विषयः- प्रतापगढ़ नगर के सीवरेज योजना के अन्तर्गत निर्मित 8.95 एम0एल0डी0 क्षमता सीवेज शोधन संयन्त्र के कार्य अपूर्ण एवं अक्रियाशील रहने के संबंध में उक्त समय कार्यरत लोक कर्मियों के विरूद्ध प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में। महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, प्रतापगढ़ के अधीन शासन द्वारा राज्य सेक्टर में प्रतापगढ़ सीवरेज कार्य हेतु वर्ष 2005-06 में रू0 801.00 लाख एवं वर्ष 2010-11 में रू0 1020.74 लाख कुल रू0 1821.74 लाख अवमुक्त किया गया था। जिसमें सीवर लाइन बिछाने का कार्य 12.474 किमी0, इन्टरमीडिएट सीवेज पम्पिंग स्टेशन- 1 नग, मानव तन मन्दिर अजीत नगर स्थित मुख्य पम्पिंग स्टेशन एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 8.95 एम0एल0डी0 क्षमता एवं तदसम्बन्धित कार्यो का प्राविधान था। प्रस्तावित कार्यों में सीवर लाइन बिछाने का कार्य 7.60 किमी0 पूर्ण है एवं इन्टरमीडिएट सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य आरम्भ नहीं किया गया। मुख्य सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य एवं सीवेज शोधन संयत्र 8.95 एम0एल0डी0 क्षमता का कार्य 85 प्रतिशत कराया गया। उपरोक्त समस्त कार्य अपूर्ण एवं अक्रियाशील है। योजना की अवमुक्त धनराशि में से रू0 387.73 लाख अन्य योजनाओं पर व्ययावर्तित किये जाने के कारण योजना के प्राविधानित कार्य अपूर्ण एवं अक्रियाशील है (विवरण संलग्न संलग्नक-1)। इस योजना में प्राविधानित सीवर लाइन बिछाने का कार्य अव्यवस्थित तरीके से किये जाने के कारण योजना अपूर्ण एवं बीच-बीच में सीवर लाइन में गैप पड़ा हुआ है। इस प्रकार कार्य अनियोजित ढंग से कराये जाने के कारण योजना के समस्त कार्य अपूर्ण एवं अक्रियाशील है। सीवेज शोधन संयन्त्र का कार्य मेसर्स थर्मेक्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस डी एम0एन0डी0 इन्डस्ट्रियल एरिया, आर0डी0 ए0जी0ए0 रोड, चिन्चवड, पुणे-411019 इण्डिया द्वारा कराया गया है। फर्म को दिया गया मोबिलाइजेशन एडवांस विवरण संलग्न (संलग्न-2) के क्रमांक-1,2 एवं 3 पर अंकित धनराशि क्रमशः रू0 10.00 लाख, रू0 10.00 लाख एवं रू0 57.10 लाख इस प्रकार कुल रू0 77.10 लाख का भी समायोजन नहीं किया गया है तथा मेसर्स थर्मेक्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस डी एम0डी0सी0 इन्डस्ट्रियल एरिया, आर0डी0 ए0जी0ए0 रोड, चिन्चवड, पुणे-411019 इण्डिया द्वारा जमा की गयी बी0जी0 (बैंक गारंटी) की वैधता जुलाई 2011 में ही समाप्त हो गयी है, जिसे रिन्युवल नहीं कराया गया। फर्म द्वारा 8.95 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 को पूर्ण एवं क्रियाशील किये बिना ही

Scanned with CamScanner

समस्त भुगतान फर्म को कर दिया गया। प्रतापगढ़ सीवरेज पर प्राप्त धनराशि को हैण्डपम्प अधिष्ठापन एवं अन्य मौर स्वीकृत योजनाओं पर व्ययावर्तन करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। इस प्रकार वित्तीय अनियमितता एवं नियम विरुद्ध कृत्य कर विभाग की छवि धूमिल की गयी है। उक्त योजना अन्तर्गत धन व्ययावर्तन करने, वित्तीय अनियमितता एवं नियम विरुद्ध कृत्य कर विभाग को रू0 387.73 लाख की वित्तीय हानि पहुँचाने हेतु निम्नलिखित लोकसेवकों एवं फर्म के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करने की कृपा करें। 1. श्री राजेश खरे, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता पुत्र स्व0 करतार खरे, अल्लापुर, अमिताभ बच्चन मार्ग, प्रयागराज। 2. श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त खण्डीय लेखाकार पुत्र स्व0 पन्नालाल श्रीवास्तव, 341/2ए, शास्त्री नगर, सदियापुर, प्रयागराज। 3. श्री रामपाल राम, सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक (कार्य0 खण्डीय लेखाकार) पुत्र स्व0 दरोगा राम, ग्राम काशीपुर (मिसन्धीरी), पोस्ट- बलिया, जिला- बलिया, पिन-277201। 4. मेसर्स थर्मेक्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस डी एम0सी0सी0 इण्डस्ट्रियल एरिया, आर0डी0 ए0जी0ए0 रोड, चिन्चवड़ पुणे-411019 इण्डिया। संलग्नक:- उपरोक्तानुसार। भवदीय 28/8/2020 (घनश्याम द्विवेदी) अधिशासी अभियन्ता। फेशियर पृ0सं0- दिनांक 28/8/2020 1. (श्रीमती सीमा सिंह) खण्डीय लेखाकार 28/8/2020 2. (श्री अश्वनी कुमार शर्मा) ... प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 1. मुख्य अभियन्ता (प्रया0 क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि आपके द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में उक्त लोक कर्मियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु सम्बन्धित थाने मे तहरीर दे दी गयी है, प्राथमिकी दर्ज की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपलब्ध करा दिया जायेगा। 2. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, प्रयागराज। अधिशासी अभियन्ता hm/cm कृ0उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करें।29/08/20 नोट मैं हे0मो0 राजेश कुमार सिंह प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल अक्षरश: की गयी है(बिना तकनीकी त्रुटि के)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है or

(1) Registered the case and took up the investigation:

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): AMAR NATH RAI Rank (पद): SI (Sub-Inspector) No.(सं.):952220365 to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S. District

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): PRAVIN KUSHWAHA
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): 9454404114

Scanned with CamScanner

पत्र सख्याः वाचक–अपराध(प्रगति आख्या)/2021 दिनांकः–नवम्बर 02,2021

A-5

सेवा में,

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण),
6–राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

कृपया आप अपने पत्र संख्याः–170/संप्र0नि0(कैम्प)/2021 दिनांकः–30.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता श्री घनश्याम द्विवेदी, कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड,उ0प्र0 जल निगम, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांकः–30.08.2020 को थाना को0नगर प्रतापगढ़ पर पंजीकृत कराये गये मु0अ0स0ः–762/20 धाराः–409,419,420 भा0द0वि0 की प्रगति आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी हैं।

उपरोक्त सन्दर्भ में सादर अवगत कराना हैं कि अभियोग में श्री घनश्याम द्विवेदी अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम प्रतापगढ़ के लिखित तहरीर पर दिनांकः–30.08.2020 को थाना को0 नगर प्रतापगढ़ पर मु0अ0स0ः–762/20 धाराः–409,419,420 भा0द0वि0 बनाम 1.राजेश खरे सेवानिवृत्त अधिशासी अधिकारी पुत्र स्व0 करतार खरे नि0 अल्लापुर प्रयागराज 2.राकेश कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त खण्डीय लेखाकार पुत्र स्व0 पन्ना लाल श्रीवास्तव नि0 341/02 ए शास्त्री नगर परियापुर प्रयागराज 3.रामपाल राम सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक खण्डीय लेखाकर पुत्र दरोगा राम नि0 काशीपुर बलिया 4.मेशर्स थर्मेक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड आफिस डीएम डीसी इन्डस्ट्रीयल एरिया आर डी ए जी ए रोड चिन्नवाड़े पुणे द्वारा मिली भगत से जलनिगम के कार्य को सम्पूर्ण ढंग से न पूरा करने फर्जी तरीके से जालसाजी करके सरकारी धन का प्रयोग करने एवं अभिलेखों से हेराफेरी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था, उपरोक्त अभियोग की विवेचना वर्तमान में उ0नि0 राधेबाबू प्रभारी चौकी सि0ला0 द्वारा की जा रही हैं, मुकदमें में नामजद अभियुक्त राकेश कुमार श्रीवास्तव(सेवानिवृत्त खण्डीय लेखाकार) को दिनांकः–28.10.2021 को गिर0 कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं, तथा जो वर्तमान में जिला कारागार प्रतापगढ़ में निरूद्ध हैं। मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त राजेश खरे(सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता) की गिर0 हेतु प्रयास किया जा रहा हैं। अन्य के विरूद्ध साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही हैं। **प्रभारी निरीक्षक थाना को0 नगर प्रतापगढ़** की मूल रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न कर सादर अवलोकनार्थ सेवा में प्रेषित हैं।

संलग्नकः–यथोपरि।

A-6

मा0एन0जी0टी0 प्रकरण/सर्वोच्च प्राथमिकता

अर्द्धशा.प.सं-3432/नौ-4-21-10ई.ओ./2021

नगर विकास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 26 अक्टूबर, 2021

डा0 रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव।

प्रिय Amit,

श्री मुदित सिंह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, परिवार कल्याण प्रतिनियुक्ति पर नगर विकास विभाग में तैनात अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बेल्हा, प्रतापगढ़ के पद पर दिनांक 06.03.2019 से कार्यरत हैं। नगर पालिका परिषद, बेल्हा, प्रतापगढ़ के भुलियापुर नाला, पुलिस लाइन नाला, सदर पुलिस लाइन नाला, राम लीला मैदान नाला के बायो रेमिडिएशन की कार्यवाही श्री सिंह द्वारा अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लगभग एक वर्ष बाद विलम्ब से किये जाने के कारण नालों का प्रदूषित लिक्विड/सीवर वेस्ट सई नदी में सीधे प्रवाहित होता रहा। ओ.ए.सं0 490/2019 टी0एस0 सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ओवरसाईट कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 22.10.2021 के अनुसार फरवरी, 2020 से अक्टूबर 2021 तक जलीय गुणवत्ता रिपोर्ट में जल प्रदूषण को रोकने के लिए बायो रेमिडिएशन विधि से उपचार प्रभावी नहीं पाया गया और सई नदी के जल नमूने की गुणवत्ता में प्रदूषण कारक अनुमन्य सीमा से अधिक पाये गये।

नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से जनित सीवेज को शुद्धिकृत किये बिना सई नदी में निस्तारित किये जाने के कारण पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना किये जाने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश दिनांक 02.06.2021 द्वारा रू0 36.50 करोड़ की पर्यावरणीय क्षति निकाय पर अधिरोपित की गयी है।

उ0प्र0 पालिका अधिनियम 1916 की धारा-7 (ञ) व (फ) में दिये गये कर्तव्यों का उल्लंघन, वीडियों कान्फ्रेन्सिंग दिनांक 21.10.2021 को अधोहस्ताक्षरी एवं दिनांक 23.10.2021 को निदेशक, नगर निकाय निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पाल्यूटेड रिवर स्ट्रैच के सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेब साइट पर अपलोड रिवर एक्शन प्लान का अध्ययन कर उसके सम्बन्ध में ए0टी0आर0 25.10.2021 तक उपलब्ध नहीं कराने, पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उदासीनता व लापरवाही बरतने हेतु श्री मुदित सिंह, अधिशासी अधिकारी (प्रतिनियुक्ति), नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ प्रथमदृष्टया दोषी पाये गये हैं। उपर्युक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत निदेशक, नगर निकाय निदेशालय द्वारा अपने पत्र संख्या-2/897/151-एन.जी.टी./कार्य./21, दिनांक 25.10.2021 द्वारा श्री मुदित सिंह, अधिशासी अधिकारी (प्रतिनियुक्ति), नगर पालिका परिषद, बेल्हा (प्रतापगढ़) के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र का आलेख मयपठनीय साक्ष्य संलग्न कर महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ उ0प्र0 को प्रेषित किया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि श्री मुदित सिंह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परिवार कल्याण सम्प्रति प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ के विरूद्ध विभागीय जाँच कराकर समुचित कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

Regards,

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)

श्री अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

ई–मेल
मा0एन0जी0टी0प्रकरण / सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रेषक,

निदेशक,
नगर निकाय,उ0प्र0,
सेक्टर–7 गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण लखनऊ,
उ0प्र0।

संख्या–2/897/151–एन0जी0टी0/कार्य0/21, लखनऊः दिनांक 25 अक्टूबर,2021

विषयः मा0एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0सं0–490/2019 टी0एस0सिंह बनाम् उ0प्र0राज्य में ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 22.10.2021 के अनुसार श्री मुदित सिंह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, परिवार कल्याण प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ जनपद प्रतापगढ़ द्वारा पर्यावर्णीय नियमों का अनुपालन न करने के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि श्री मुदित सिंह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, परिवार कल्याण प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ जनपद प्रतापगढ़ में दिनांक 06.03.2019 से कार्यरत हैं। नगर पालिका परिषद, बेल्हा, प्रतापगढ़ के भुलियापुर नाला, पुलिस लाईन नाला, सदर पुलिस लाईन नाला, राम लीला मैदान नाला का बायो रेमिडिएशन की कार्यवाही श्री मुदित सिंह द्वारा अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यभार करने के लगभग एक वर्ष बाद विलम्ब से की गयी और नालों का प्रदूषित लिक्विड वेस्ट/सीवर वेस्ट सई नदी में सीधे प्रवाहित होता रहा। ओ0ए0 संख्या–490/2019 टी0एस0 सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 22.10.2021 के अनुसार फरवरी, 2020 से अक्टूबर, 2021 तक की जलीय गुणवत्ता रिपोर्ट में जल प्रदूषण को रोकने के लिए बायो रेमिडिएशन विधि से उपचार प्रभावी नहीं पाया गया और सई नदी के जल नमूने की गुणवत्ता अनुमन्य मानक सीमा से अधिक पाये गये। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ द्वारा चारों नालों के प्रदूषित जलीय प्रवाह को सई नदी मे समुचित रूप से शोधित किये बिना प्रवाहित करने, लोक स्वास्थ्य एवं जलीय जीवों की स्वास्थ्य सुरक्षा की अनदेखी करने, मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में शिथिलता बरतने एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावर्णीय नियमों का पालन न होने के कारण रू0 36.50 करोड़ की पर्यावर्णीय क्षति अधिरोपित करने, शासन के आदेशों, राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन एवं निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित पत्रों में दिये गये निर्देशों तथा समय–समय पर वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में दिये गये निर्देशों का सम्यक अनुपालन नहीं किया गया है और आपके द्वारा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम,1916 की धारा–7 (भ) व (फ) में दिये गये कर्तव्यों का उल्लंघन एवं वीडियों कान्फ्रेसिंग दिनांक 21.10.2021 को अपर मुख्य सचिव/ सचिव, नगर विकास एवं 23.10.2021 को निदेशक, नगर निकाय द्वारा पाल्यूटेड रिवर स्ट्रैच के संबंध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड रिवर एक्शन प्लान का अध्ययन कर उसके संबंध में ए0टी0आर0 दिनांक 25.10.2021 तक उपलब्ध नहीं कराने, पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उदासीनता व लापरवाही बरतने के प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि श्री मुदित सिंह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, परिवार कल्याण प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ जनपद प्रतापगढ़ के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र का आलेख मय पठनीय साक्ष्य संलग्लकर इस आशय से प्रेषित हैं कि श्री मुदित सिंह के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करके सचिव, नगर विकास अनुभाग–4, लखनऊ एवं अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–आरोप पत्र का आलेख्य व पठनीय–साक्ष्य।

भवदीया,

(शकुन्तला गौतम)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांकःतदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन,लखनऊ को सूचनार्थ।

2– सचिव/राज्य मिशन निदेशक अमृत नगर निकाय निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ।

3– विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग–4, उ0प्र0शासन, लखनऊ को उपरोक्त आरोप पत्र मय संलग्नक सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से महानिदेशक, परिवार कल्याण उ0प्र0 लखनऊ एवं प्रशासकीय विभाग को पत्र भेजने का कष्ट करें।

4– जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।

5– श्री गंगा राम गुप्ता, संयुक्त निदेशक, नगर निकाय निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ को महानिदेशक, परिवार कल्याण से समन्वय कर उपरोक्तानुसार वांछित कार्यवाही कराने हेतु एवं अनुश्रवण कर निकायों से ए0टी0आर0 मंगाने हेतु।

6– डा0असलम अंसारी, अपर निदेशक (प0क0)/प्रभारी–नोडल अधिकारी मा0 एन0जी0टी0, नगर निकाय निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा0 एन0जी0टी0 के प्रश्नगत प्रकरण एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अन्य प्रकरणों में संबंधित नगरीय निकायों के संबंध में दिये गये आदेशों का प्रभावी अनुश्रवण कर अनुपालन सुनिश्चित करायें एवं सभी संबंधित निकायों से वांछित एक्शन टेकेन रिपोर्ट मंगाकर संकलित कर शासन को समयबद्ध रूप से प्रेषण करना सुनिश्चित करें।

7– श्रीमती रश्मि सिंह,उप निदेशक एवं श्री नगेसर प्रसाद, प्रशासनिक अधिकारी, अनुभाग–2, नगर निकाय निदेशालय,उ0प्र0लखनऊ को अनुश्रवण करने एवं मा0एन0जी0 के अन्य प्रकरणों में पारित आदेशों के कम में संबंधित निकाय के उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शकुन्तला गौतम)
निदेशक।

कार्यालयः महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ उ०प्र०

संख्या– / .... दिनांक ....

आरोप पत्र

श्री मुदित सिंह
स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, परिवार कल्याण।
सम्प्रति अधिशासी अधिकारी, (प्रतिनियुक्ति)
नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़,
जनपद–प्रतापगढ़।

आप प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बेल्हा, प्रतापगढ़ में दिनांक 06.03.2019 से कार्यरत हैं। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पर्यावर्णीय नियमों का अनुपालन करने, पाल्यूटेड रिवर स्ट्रैच के दृष्टिगत रिवर एक्शन प्लान की कार्ययोजना अनुसार जलीय प्रदूषण की रोकथाम करने, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन तथा प्रोसेसिंग), प्लास्टिक/लीगेसी वेस्ट का प्रबन्धन अधिशासी अधिकारी, बेल्हा प्रतापगढ़ होने के नाते लोक स्वास्थ्य एवं जलीय जीवों की स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत आपके बाध्यकारी दायित्वों एवं कर्तव्यों के अन्तर्गत आने के बावजूद समुचित रूप से शोधित कराये बिना अपनी निकाय के नालों का जलीय प्रवाह सई नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, जिसके लिए आप दोषी हैं और आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आपको निम्नवत् आरोपित किया जाता हैः–

आरोप संख्या–1

आप पर प्रथम आरोप है कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बेल्हा, जनपद प्रतापगढ़ के पद पर दिनांक 06.03.2019 से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं और मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) एवं अन्य मा0 न्यायालयों के पर्यावर्णीय नियमों का अनुपालन करने, नदियों में जल प्रदूषण को रोकने के लिए पाल्यूटेड रिवर स्ट्रैच के अन्तर्गत कार्ययोजना अनुसार जलीय प्रदूषण की रोकथाम करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन तथा प्रोसेसिंग) करने, प्लास्टिक/लीगेसी वेस्ड प्रबन्धन, नदी में सीधे गिर रहे नालों के प्रदूषित जलीय प्रवाह का समुचित प्रबन्धन लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत आपके बाध्यकारी दायित्वों एवं अनिवार्य कर्तव्यों के अन्तर्गत है। निकाय स्तर पर अधिशासी अधिकारियों को सुसंगत नियमों मा0 एन.जी.टी. के आदेशों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी अधिकारी/नामित प्राधिकारी माना गया है। मा0 एन.जी.टी. द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया है कि विभिन्न अधिनियमों एंव विशेषकर ठोस अपशिष्ट तथा लिक्विड अपशिष्ट के भली भाँति समुचित निस्तारण हेतु विभिन्न गतिविधियों के अनुपालन में विफलता पर न केवल निकाय पर दण्डात्मक कार्यवाही स्वरूप पर्यावर्णीय क्षतिपूर्ति लगाया जाना है, बल्कि सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

नगर पालिका परिषद, बेल्हा, प्रतापगढ़ के भुलियापुर नाला, पुलिस लाईन नाला, सदर पुलिस लाईन नाला, राम लीला मैदान नाला का बायो रेमिडिएशन की कार्यवाही आपके द्वारा अपने कार्यभार करने के लगभग एक वर्ष बाद विलम्ब से की गयी और नालों का प्रदूषित लिक्विड वेस्ट/सीवर वेस्ट सई नदी में सीधे प्रवाहित होता रहा। ओ0ए0 संख्या–490/2019 टी0एस0 सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 22.10.2021 के अनुसार फरवरी, 2020 से अक्टूबर, 2021 तक की जलीय गुणवत्ता रिपोर्ट में जल प्रदूषण को रोकने के लिए बायो रेमिडिएशन विधि से उपचार प्रभावी नहीं पाया गया और सई नदी के जल नमूने की गुणवत्ता अनुमन्य

मानक सीमा से अधिक पाये गये हैं। आप अपनी निकाय के चारों नालों के प्रदूषित जलीय प्रवाह को सई नदी मे समुचित रूप से शोधित किये बिना प्रवाहित करने, लोक स्वास्थ्य एवं जलीय जीवों की स्वास्थ्य सुरक्षा की अनदेखी करने, जल प्रदूषण मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में शिथिलता व लापरवाही बरतने और प्रभावी पैरवी न होने के कारण रू0–36.50 करोड़ की पर्यावर्णीय क्षति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिरोपित की गयी है जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी हैं। इस आरोप की पुष्टि में निम्नलिखित साक्ष्य पठनीय हैं:–

पठनीय साक्ष्यः–

1. ओ0ए0 संख्या–490/2019 टी0एस0 सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 एन.जी.टी. की ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 22.10.2021 मय संलग्नक।
2. डा0 असलम अंसारी, अपर निदेशक (प0/क0)/प्रभारी/नोडल अधिकारी मा0 एन0जी0टी0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 का पत्रांक 4/3568/एन0जी0टी0/2021 दिनांक 25.10.2021.
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बेल्हा, प्रतापगढ़ का पत्रांक–68/न0पा0परि0–2021 दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 मय संलग्नक बायो रेमिडिएशन से सम्बन्धित प्रारूप की सूचना।

आरोप संख्या–2

आप पर दूसरा आरोप है कि आपके द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बेल्हा, प्रतापगढ़ के रूप में मा0 एन0जी0टी0 के पर्यावरण के अनुपालन हेतु समय–समय पर निर्गत शासन के आदेशों, राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन एवं निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित पत्रों में दिये गये निर्देशों तथा समय–समय पर वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में दिये गये निर्देशों का सम्यक अनुपालन नहीं किया गया है और आपके द्वारा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम,1916 की धारा–7 (ण) व (फ) में दिये गये कर्तव्यों का उल्लंघन एवं वीडियों कान्फ्रेसिंग दिनांक 21.10.2021 को अपर मुख्य सचिव/सचिव, नगर विकास एवं 23.10.2021 को निदेशक, नगर निकाय द्वारा पाल्यूटिंग रिवर स्ट्रैच के संबंध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड रिवर एक्शन प्लान का अध्ययन कर उसके संबंध में ए0टी0आर0 दिनांक 25.10.2021 तक उपलब्ध कराने हेतु दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। आपका यह कृत्य अधिशासी अधिकारी के पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता व लापरवाही बरतने एवं कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत कार्य करने का द्योतक है जिसके लिए आप दोषी है। उक्त आरोप के समर्थन निम्नलिखित साक्ष्य पठनीय हैं:–

1– उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–5 के पत्र संख्या–1355/नौ–5–2019 –352सा/16 दिनांक 10.04.2019

2– राज्य मिशन निदेशक(नगरीय) स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय का पत्र संख्या पी0एम0यू0/3626/429(12) दिनांक 18.02.2020

3– नगर निकाय निदेशालय के पत्र संख्या–4/184/एन0जी0टी02020 दिनांक 01.02.2021

4– नगर निकाय निदेशालय के पत्र संख्या–4/3118/एन0जी0टी0/2020 दिनांक 25.08.2021

5– नगर निकाय निदेशालय के पत्र संख्या–3236/एन0जी0टी0/2018–20 दिनांक 15.09.2021

उपरोक्त आरोप के संबंध में आप अपना लिखित उत्तर/अभिकथन इस पत्र की प्राप्ति के विलम्बतम 15 दिन के अन्दर जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर कोई लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और तद्नुसार आख्या नियमानुसार प्रेषित कर दी जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

निर्गमन अधिकारी — जांच अधिकारी

<u>अनुमोदित</u> — नियुक्त प्राधिकारी

कार्यालय नगरपालिका परिषद बेल्हा प्रतापगढ़।

दिनांकः 25 अक्टूबर, 2021

संख्याः 68 /न0पा0प0रि0–2021

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0,
गोमती नगर विस्तार सेक्टर–7,
लखनऊ ।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन0जी0टी0) नई दिल्ली व पर्यावर्णीय नियमों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–4/3566/एन0जी0टी0/2021 दिनांक 23 अक्टूबर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करे, तद् पत्र के अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 के आदेशो के अनुपालन में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन एवं जलीय प्रदूषण को रोकने के लिए बायो–रेमिडिएशन/फाइटो रेमिडिएशन के सम्बन्ध में नदीवार/ड्रेनवार सूचना निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 25–10–2021 को अपरान्ह 12:00 बजे तक उपलब्ध कराये जानें के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगरपालिका परिषद बेल्हा प्रतापगढ़ क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित 04 अदद प्रमुख नाला क्रमशः पुलिस लाइन नाला व सदर पुलिस लाइन नाला व भुलियापुर नाला एवं रामलीला मैदान नाला एवं जिनका एम0एल0डी0 फ्लो क्रमशः 0.500, 4.00 व 1.500 एवं 1.100 है, जो सई नदी में सीधे मिलतें है, जिनमें नगरपालिका परिषद बेल्हा प्रतापगढ़ द्वारा बायोरेमिडिएशन का कार्य कराया जा रहा है।

अतएव उपरोक्तानुसार आप द्वारा वांछित विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

25/10/2021

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद बेल्हा प्रतापगढ़।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H67117 /सी–5/61/OA No. 490/19/21 दिनांक 13.10.21

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
ओवर साईट कमेटी,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण, उ0प्र0,
लखनऊ।

विषयः मा0 अध्यक्ष ओवर साईट कमेटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में आहुत बैठक दिनांक 04.10.2021 को ओ0ए0 संख्या–490/2019 की प्रगति के संबंध में दिये गये निर्देश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 अध्यक्ष ओवर साईट कमेटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में आहुत बैठक दिनांक 04.10.2021 में दिये गये निदेशानुसार वॉछित सूचनाऐं निम्नवत् है :–

1. क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली से फरवरी, 2020 से दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 तक सई नदी में मिलने वाले नालों से एकत्रित उत्प्रवाह नमूनें एवं सई नदी के जल नमूनों की विश्लेषण आख्या प्राप्त की गयी , जो संलग्न है **(संलग्नक–1)**।
2. राज्य बोर्ड द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहित की धारा–197 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित पत्र निम्नवत् है :–
   I. बोर्ड के पत्रांक–जी 32452/सी–5/सा0–527/2020 दिनांक 04.03.2020 द्वारा अनु सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन को नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–24 एवं धारा–43 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा–197 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति के संबंध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था। **(संलग्नक–2)**
   II. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–जी 35526/सी–5/सा0–527/21 दिनांक 16.06.2021 एवं पत्रांक–जी 33860/सी–5/61/ओ0ए0–490/ 2019/2020 दिनांक 12/10/2020 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन स्तर से प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को अनुस्मारक पत्र प्रेषित करने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किये गये। **(संलग्नक–3 एव 4)**
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उपरोक्त पत्रों के अनुक्रम में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित पत्रों के विवरण निम्नवत् हैः–
   I. पत्र संख्या–245/81–6–2020–26(पर्या)/2017टी0सी0–1 लखनऊ दिनांकः मई, 2020 (संलग्नक–5)।

....2

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

II. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन के अनुस्मारक पत्र संख्या–770/81–6–2020–26(पर्या)/2017टी0सी0 दिनांक 19.10.2020 (**संलग्नक–6**)।

III. द्वितीय अनुस्मारक पत्र संख्या–378/81–6–2020–26(पर्या)/2017टी0सी0 दिनांक 01.07.2021 (**संलग्नक–7**)।

IV. तृतीय अनुस्मारक पत्र संख्या–889/81–6–2020–26(पर्या)/2017टी0सी0 दिनांक 11.10.2021 (**संलग्नक–8**)।

4. जनपद–प्रतापगढ़ की आबादी से जनित घरेलू जल–मल लगभग 12.96 एम.एल.डी. का निस्तारण बिना किसी शुद्धिकृत किये निस्तारित किये जाने दृष्टिगत बोर्ड द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को प्रश्नगत प्रकरण में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु राज्य बोर्ड द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:–

I. बोर्ड के पत्रांक–एच 48668/सी–5/सा0–527/2020 दिनांक 06.03.2020 द्वारा रूपये 36.50 करोड़ (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था (**संलग्नक–9**)।

II. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ का पत्र संख्या–1700/न0पा0परि0–2020 दिनांक 27.03.2020 द्वारा कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जो ई–मेल के माध्यम से दिनांक 24.08.2021 को प्राप्त हुआ है (**संलग्नक–10**)।

III. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ का पत्र संख्या–जी 33529/सी–5/सामान्य –527/2020 दिनांक 27.08.2020 द्वारा नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में अधिशासी अधिकारी से प्राप्त प्रतिउत्तर/टिप्पणी पर प्रेषित करते हेतु पत्र भेजा गया (**संलग्नक–11**)।

IV. पुनः सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन के संख्या–771/81–6–2020–26(पर्या)/2017टी0सी0 दिनांक 19.10.2020 द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध में अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया (**संलग्नक–12**)

V. उक्त निर्गत कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में नगर विकास विभाग/नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से कोई टिप्पणी/प्रतिउत्तर प्राप्त न होने के कारण बोर्ड के पत्रांक–एच 62569/सी–5/सा0–527 /2020 दिनांक 21.06.2021 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध रूपये 36.50 करोड़ (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी (**संलग्नक–13**)।

VI. क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली द्वारा अपने पत्र संख्या–67/ओ0ए0 490/2019/आर/2021–22 दिनांक 21.06.2021 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में जमा कराने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया, जिसकी प्रति जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी (**संलग्नक–14**)।

VII. नगर पालिका परिषद, बेला–प्रतापगढ़ के पत्र संख्या–27/न0प0परि0–2021 दिनांक 23.06.2021 (**संलग्नक–15**) द्वारा अध्यक्ष,उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सम्बोधित पत्र प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध में प्रत्यावेदन दिया गया था। उक्त प्रत्यावेदन के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली से आख्या प्राप्त

....3

की गयी। क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली से प्राप्त आख्या एवं संस्तुति के अनुक्रम में नगर पालिका परिषद, बेला–प्रतापगढ़ के प्रत्यावेदन का निस्तारण सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त बोर्ड के पत्रांक–एच 66609/सी–5/एस.टी.पी./सा0–527/21 दिनांक 04.10.2021 द्वारा करते हुए पुनः नगर पालिका परिषद, बेला–प्रतापगढ़ को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 36.50 करोड़ (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) बोर्ड के पक्ष में जमा कराने के निर्देश दिये गये हैं **(संलग्नक–16)**

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5

प्रतिलिपिः विधि अधिकारी (प्रथम), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5

क्षेत्रीय कार्यालय,

उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 354/T.S. Singh/2021-22 दिनांक–12/10/21

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5),
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय–मा0 अध्यक्ष ओवर साइट कमेटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक–04.10.2021 को ओ0ए0 नं0–490/2019 की प्रगति के सम्बन्ध में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से हुई बैठक में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित अपने पत्र संख्या–एच66614/सी–5/61/ओ0ए0नं0490/2019 दिनांक–04.10.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के माध्यम से आप द्वारा दिनांक–04.10.2021 को माननीय अध्यक्ष ओवर साइट कमेटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में ओ0ए0 नं0–490/2019 की प्रगति के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित जनपद–प्रतापगढ़ में सई नदी एवं नालों की अद्यतन विश्लेषण आख्या पत्र के साथ पुनः संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी 12/10/21

प्रतिलिपिः–सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मुख्यालयः "पर्यावरण भवन", टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
www.uppcb.com, E-mail- roraebareli@uppcb.in

संलग्नक - 1

Test Report Format No- UPPCB/RL/RBL/TR-2021

REGIONAL LABORATORY, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

Address: C-Block, Indira Nagar, Awas Vikash Colony, Raebareli-229001, U.P.

Phone: 0535-2973034

TEST REPORT

S. No	Date of Sampling	Sampling Point	Before Bio Remediation						After Bio Remediation						Percentage Reduction in BOD (%)	After Bioremediation	
			pH	TSS (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TC (MPN/100 ml)	FC (MPN/100 ml)	pH	TSS (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TC (MPN/100 ml)	FC (MPN/100 ml)		Parameters Within the Standard	Parameters Beyond the Standard
1	1/23/2021	Ramlila Maidan Drain	7.89	88	58	320	3,800,000	1,700,000	8.31	36	36	144	2,100,000	1,300,000	37.93	pH, TSS	BOD, FC
2	1/23/2021	Bhuliyapur Drain	7.95	68	44	256	6,300,000	3,100,000	7.81	32	32	128	350,000	43,000	27.27	pH, TSS	BOD, FC
3	1/23/2021	City Drain	7.01	152	98	384	12,000,000	9,400,000	7.79	72	44	192	1,700,000	430,000	55.1	pH, TSS	BOD, FC
4	1/23/2021	Police Line Drain	7.79	132	92	352	9,400,000	2,100,000	7.79	72	48	160	2,600,000	1,100,000	47.82	pH, TSS	BOD, FC
5	6/1/2021	Ramlila Miadan Drain	7.76	136	68	304	8,400,000	3,300,000	8.29	82	32	144	1,700,000	1,100,000	52.94	pH, TSS	BOD, FC
6	6/1/2021	Bhuliyapur Drain	8.01	72	48	304	5,400,000	2,800,000	8.21	30	34	168	3,300,000	940,000	29.16	pH, TSS	BOD, FC
7	6/1/2021	City Drain	7.21	160	72	320	9,400,000	3,300,000	7.7	70	27	156	5,800,000	280,000	62.5	pH, TSS, BOD	FC

12/10/21

Scanned with CamScanner

8	6/1/2021	Police Line Drain	7.94	128	76	336	5,400,000	1,800,000	7.6	86	34	160	2,400,000	1,100,000	55.26	pH, TSS	BOD, FC
9	9/25/2021	Ramlila Maidan Drain	7.79	192	44	304	6,300,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	No Bioremediation	-	BOD, FC, pH, TSS
10	9/25/2021	Bhuliypur Drain	7.61	182	58	304	5,400,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	No Bioremediation	-	BOD, FC, pH, TSS
11	9/25/2021	City Drain	7.92	168	57	304	9,400,000	3,300,000	-	-	-	-	-	-	No Bioremediation	-	BOD, FC, pH, TSS
12	9/25/2021	Police Line Drain	7.61	182	58	304	5,400,000	1,800,000	-	-	-	-	-	-	No Bioremediation	-	BOD, FC, pH, TSS
13	10/5/2021	Ramlila Maidan Drain	7.68	198	48	288	5,400,000	2,800,000	7.65	95	25	120	4,900,000	2,800,000	47.92	pH, TSS, BOD	FC
14	10/5/2021	Bhuliypur Drain	7.39	180	52	304	6,300,000	2,800,000	7.45	90	28	128	5,400,000	2,600,000	46.15	pH, TSS, BOD	FC
15	10/5/2021	City Drain	7.05	182	70	320	9,400,000	3,300,000	7.18	98	34	144	7,000,000	2,800,000	51.42	pH, TSS	BOD, FC
Effluent Discharge Standards for STP (13 October 2017)									6.5-9.0	<100	30	-	-	<1000	-	-	-

S.A. A.S.O. R.O.

Scanned with CamScanner

Test Report Format No- UPPCB/RL/RBL/TR-2021

REGIONAL LABORATORY, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

Address: C-Block, Indira Nagar, Awas Vikash Colony, Raebareli-229001, U.P.
Phone: 0535-2973034

TEST REPORT

S. No	Date of Sampling	Sampling Point	Before Bio Remediation						After Bio Remediation						Percentage Reduction in BOD (%)	After Bioremediation	
			pH	TSS (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TC (MPN/100 ml)	FC (MPN/100 ml)	pH	TSS (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TC (MPN/100 ml)	FC (MPN/100 ml)		Parameters Within the Standard	Parameters Beyond the Standard
1	2/22/2020	City Drain	7.53	156	86	270	3,800,000	7,000,000	7.7	132	36	196	2,100,000	17,000	58.14	pH	TSS, BOD, FC
2	3/18/2020	Ramlila Miadan Drain	7.92	122	48	262	54,000,000	17,000,000	7.96	88	36	242	24,000,000	7,900,000	52.94	pH, TSS	BOD, FC
3	3/18/2020	Bhuliyapur Drain	8.12	148	62	312	1,600,000,000	540,000,000	7.82	112	50	293	110,000,000	70,000,000	19.35	pH	TSS BOD, FC
4	3/18/2020	City Drain	8.01	128	46	288	92,000,000	35,000,000	7.86	96	38	246	54,000,000	24,000,000	17.93	pH, TSS	BOD, FC
10	11/18/2020	Ramlila Miadan Drain	7.9	98	68	346	2,600,000	2,100,000	7.96	38	28	142	2,200,000	1,700,000	58.82	pH, TSS, BOD	FC
11	11/18/2020	Bhuliyapur Drain	7.84	112	60	298	7,900,000	2,700,000	7.07	62	36	176	110,000	17,000	40	pH, TSS	BOD, FC
12	11/18/2020	City Drain	7.91	148	82	396	17,000,000	11,000,000	7.98	66	40	216	1,700,000	1,300,000	51.82	pH, TSS	BOD, FC
13	11/18/2020	Police Line Drain	7.88	136	76	382	13,000,000	2,700,000	7.83	54	38	188	1,700,000	1,300,000	50	pH, TSS	BOD, FC
Effluent Discharge Standards for STP (13 October 2017)									6.5-9.0	<100	30			<1000			

S.A. A.S.O. 11/10/21 R.O. 12/10/21

Scanned with CamScanner

Test Report Format No- UPPCB/RL/RBL/TR-2021

REGIONAL LABORATORY, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

Address: C-Block, Indira Nagar, Awas Vikash Colony, Raebareli-229001, U.P.
Phone: 0535-2973034

TEST REPORT

S.No	Date of Sampling	Sampling Point	Parameters						Remarks
			pH	Color (Hazen)	D.O. (mg/L)	BOD (mg/L	Conductivity (mmho/cm)	TC (MPN/100 ml)	Designated Best-Use
1	22-02-2020	Sai River U/S Gai Ghat	8.09	20	7.7	*	0.339	7900	D
2	22-02-2020	Sai River D/S Railway Bridge	8.18	20	6.8	*	0.359	8600	D
3	18-03-2020	Sai River U/S Gai Ghat	8.04	20	7.8	4.2	0.342	7000	D
4	18-03-2020	Sai River D/S Railway Bridge	8.22	20	6.2	5.2	0.368	11000	D
5	22-08-2020	Sai River U/S Gai Ghat	7.79	30	6.7	4.3	0.221	4100	D
6	22-08-2020	Sai River D/S Railway Bridge	7.86	40	6	4.6	0.238	5100	D
7	18-11-2020	Sai River U/S Gai Ghat	7.82	30	6.9	4.6	0.328	6300	D
8	18-11-2020	Sai River D/S Railway Bridge	7.89	30	6.8	4.7	0.359	7900	D
Standard Class A			6.5-8.5	-	6 mg/l or more	2 mg/l or less	-	50 MPN/100 ml or less	
Standard Class B			6.5-8.6	-	5 mg/l or more	3 mg/l or less	-	500 MPN/100 ml or less	
Standard Class C			6.0-9.0	-	4 mg/l or more	3 mg/l or less	-	5000 MPN/100 ml or less	
Standard Class D			6.5-8.5	-	4 mg/l or more	-	-	-	
Standard Class E			6.0-8.5	-	-	-	2250	-	

11/10/2021 S.A.   11/10/21 A.S.O.   R.O. 12/10/21

Scanned with CamScanner

Test Report Format No- UPPCB/RL/RBL/TR-2021

REGIONAL LABORATORY, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

Address: C-Block, Indira Nagar, Awas Vikash Colony, Raebareli-229001, U.P.

Phone: 0535-2973034

TEST REPORT WATER QUALITY

S.No	Date of Sampling	Sampling Point	Parameters						Remarks Designated Best-Use
			pH	Color (Hazen)	D.O. (mg/L)	BOD (mg/L	Conductivity (mmho/cm)	TC (MPN/100 ml)	
1	23-01-2021	Sai River U/S Gai Ghat	7.89	20	7.6	4.3	0.341	7000	D
2	23-01-2021	Sai River D/S Railway Bridge	7.96	30	6.5	4.7	0.381	7900	D
3	01-06-2021	Sai River U/S Gai Ghat	8.23	20	6	4.8	0.421	9200	D
4	01-06-2021	Sai River D/S Railway Bridge	8.38	30	5.4	5.2	0.438	11000	D
5	25-09-2021	Sai River U/S Gai Ghat	7.76	10	6.5	4.4	0.351	7900	D
6	25-09-2021	Sai River D/S Railway Bridge	7.8	10	6.3	4.8	0.355	9200	D
7	05-10-2021	Sai River U/S Gai Ghat	7.18	10	6.8	4.3	0.455	7900	D
8	05-10-2021	Sai River D/S Railway Bridge	7.5	10	6.4	4.6	0.461	9200	D
Standard Class A			6.5-8.5	-	6 mg/l or more	2 mg/l or less	-	50 MPN/100 ml or less	
Standard Class B			6.5-8.6	-	5 mg/l or more	3 mg/l or less	-	500 MPN/100 ml or less	
Standard Class C			6.0-9.0	-	4 mg/l or more	3 mg/l or less	-	5000 MPN/100 ml or less	
Standard Class D			6.5-8.5	-	4 mg/l or more	-	-	-	
Standard Class E			6.0-8.5	-	-	-	2250	-	

S.A. A.S.O. R.O.

11/10/21 12/10/21

Scanned with CamScanner

Water Quality Criteria

Designated-Best-Use	Class of water	Criteria
Drinking Water Source without conventional treatment but after disinfection	A	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 50 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 6mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20°C 2mg/l or less
Outdoor bathing (Organised)	B	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 500 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 5mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20°C 3mg/l or less
Drinking water source after conventional treatment and disinfection	C	Total coliforms Organism MPN/100ml shall be 5000 or less pH between 6 to 9 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20°C 3mg/l or less
Propagation of Wild life and Fisheries	D	pH between 6.5 to 8.5 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation, Industrial Cooling,Controlled Waste disposal	E	pH between 6.0 to 8.5 Electrical Conductivity at 25°C micro mhos/cm Max.2250 Sodium absorption Ratio Max. 26 Boron Max. 2mg/l

Source: http://www.cpcb.nic.in/wqstandards/

(6)

संलग्नक-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या 322452 /सी–5/ सामान्य - 527/2020 दिनांक 4-3-2020

पंजीकृत

सेवा में,

अनु सचिव
पर्यावरण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

विषयः नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा मानको के विपरीत सीवेज निस्तारण के कारण उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–197 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

यह कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ एक निगमित निकाय है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है। नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ की सीमा अन्तर्गत जनित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण निर्धारित मानको के अन्तर्गत किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

यह कि राज्य बोर्ड के पत्रांक– 847/एस.टी.पी./2012–13 दिनॉक 01.02.2013, 1335/नगर पालिका परिषद/पी/16–17 दिनॉक 28.01.2017, 512/एस.टी.पी./पी/2017–18 दिनॉक 15.07.2017 तथा 1305/एस.टी.पी.–स0/2017–18 दिनॉक 18.01.2018 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किया गया।

यह कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ का निरीक्षण राज्य बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नगर पालिका परिषद के प्रतिनिधि श्री मुदित सिंह, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को विधिक नोटिस दिनांक 22.02.2020 को प्राप्त कराया गया। निरीक्षण में पाया गया कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ सई के किनारे स्थित है। नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ से जनित सीवेज उत्प्रवाह को सिटी ड्रेन के माध्यम से सई नदी में निस्तारित किया जाता है, जो कि बेला नदी के समीप सई नदी में मिलती है। निरीक्षण आख्यानुसार नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ की सीमा विस्तार की आबादी के अनुसार लगभग 12.96 एम0एल0डी0 सीवेज उत्प्रवाह जनित होना सम्भावित है। नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ से जनित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु प्रतापगढ सीवेज स्कीम के अन्तर्गत 8.5 MLD क्षमता का FAB Technology पर आधारित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट निर्मित किया गया है। सीवेज उत्प्रवाह के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के Inlet पर न आने के कारण सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट का संचालन होता नही पाया गया। मॉडयूलर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के Inlet (city drain) एवं outlet तथा मॉडयूलर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट से बाईपास हो रहे सीवेज उत्प्रवाह के नमूने एकत्र कर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में विशलेषित कराया गया विश्लेषण आख्या के अनुसार नगर पालिका परिषद से निस्तारित किए जा रहे उत्प्रवाह के प्रचालक बोर्ड मानको के अनुरूप नही है। नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–24 कर उल्लंघन है एवं धारा–43 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त के संबंध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सक्षम स्तर से अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के दिन प्रतिदिन के कार्यों का उत्तरदायी व्यक्ति श्री मुदित सिंह, अधिशाषी अधिकारी लोक सेवक की श्रेणी में आते है।

....2/–

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

अतः आपसे अनुरोध है कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के श्री मुदित सिंह, अधिशासी अधिकारी के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा–197 के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

Environment Forest & CC, U.P. संलग्नक-3

(10)

पत्रांक संख्या G 35526/सी–5/सामान्य-527/21

दिनांक 16-6-21
पंजीकृत

सेवा में,

उप सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6,
उ0प्र0 शासन।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–490/2019 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2021 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–490/2019 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2021 का अवलोकन करना चाहें।

शासन द्वारा नगर पालिका परिषद को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–24 एवं 43 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु शासन को स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को अपने पत्र संख्या–245/81–6–2020–26(पर्या)/2017टी0सी0–1 दिनांक मई, 2020 द्वारा अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में यथाआवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करना तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6 को अवगत कराने हेतु लिखा गया है, परन्तु अभी तक अभियोजन की स्वीकृति के संबंध में कोई कार्यवाही नही की गयी है। इस संबंध में बोर्ड के पत्रांक– जी 33860/सी–5/61/ओ0ए0 संख्या–490/2019/2020 दिनांक 12.10.2020 द्वारा शासन से अनुरोध किया गया है।

अंतः आपसे पुनः अनुरोध है कि मा0 एन.जी.टी. में पारित आदेश दिनांक 09.06.2021 के दृष्टिगत शासन स्तर से प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को अनुस्मारक पत्र प्रेषित करना चाहे, जिससे नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

संलग्नक-4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–133860/सी–5/61/OA No. 490/2019/2020 दिनांक 12/10/2020

पंजीकृत

सेवा में,

अनु सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6,
उ0प्र0 शासन।

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–490/2019 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2020 के अनुपालन के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–490/2019 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2020 जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"........The State PCB is at liberty to initiate prosecution and recover compensation following due process of law......."

शासन द्वारा नगर पालिका परिषद को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–24 एवं 43 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु शासन को स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को अपने पत्र संख्या–245/81–6–2020–26(पर्या)/2017टी0सी0–1 दिनांक मई, 2020 द्वारा अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में यथाआवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करना तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6 को अवगत कराने हेतु लिखा गया है, परन्तु अभी तक अभियोजन की स्वीकृति के संबंध में कोई कार्यवाही नही की गयी है।

अंतः आपसे पुनः अनुरोध है कि मा0 एन.जी.टी. में पारित आदेश दिनांक 07.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) के दृष्टिगत शासन स्तर से प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को अनुस्मारक पत्र प्रेषित करना चाहें, जिससे नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

पत्रांक .....704 / एम एस कैम्प/20
दिनांक..... 2-6-2020

(8)

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6
संख्या–245 / 81–6–2020–26(पर्या) / 2017टी0सी0–1
लखनऊः दिनांक : मई, 2020

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ एक निगमित निकाय है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है। नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ की सीमा अन्तर्गत जनित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण निर्धारित मानकों के अन्तर्गत किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 01.02.2013, दिनांक 28.01.2017, दिनांक 15.07.2017 तथा दिनांक 18.01.2018 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित की गयी।

नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ का निरीक्षण राज्य बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नगर पालिका परिषद् के प्रतिनिधि श्री मुदित सिंह, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ को विधिक नोटिस दिनांक 22.02.2020 को प्राप्त कराया गया। निरीक्षण में पाया गया कि नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे स्थित है। नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ से जनित सीवेज उत्प्रवाह को सिटी ड्रेन के माध्यम से सई नदी में निस्तारित किया जाता है, जो कि बेला नदी के समीप सई नदी में मिलती है। निरीक्षण आख्यानुसार नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ की सीमा विस्तार की आबादी के अनुसार लगभग 12.96 एम0एल0डी0 सीवेज उत्प्रवाह जनित होना सम्भावित है। नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से जनित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु प्रतापगढ़ सीवेज स्कीम के अन्तर्गत 8.5 एम0एल0डी0 क्षमता का फैब टैक्नोलॉजी पर आधारित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट निर्मित किया गया है। सीवेज उत्प्रवाह के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के इनलेट पर न आने के कारण सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट का संचालन होता नहीं पाया गया। मॉडयूलर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के इनलेट (सिटी ड्रेन) एवं आउटलेट तथा मॉडयूलर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट से बाईपास हो रहे सीवेज उत्प्रवाह के नमूने एकत्र कर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में विशलेषित कराया गया विश्लेषण आख्या के अनुसार नगर पालिका परिषद् से निस्तारित किये जा रहे उत्प्रवाह के प्रचालक बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं है। नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–24 का उल्लंघन है एवं धारा–43 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त के संबंध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सक्षम स्तर से अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ के दिन प्रतिदिन के कार्यों के उत्तरदायी व्यक्ति श्री मुदित सिंह, अधिशाषी अधिकारी लोक सेवक की श्रेणी में आते है।

C-5
29/05/2020
(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

–2–

नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ के दिन प्रतिदिन के कार्यो के उत्तरदायी व्यक्ति श्री मुदित सिंह, अधिशाषी अधिकारी के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–24 एवं 43 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–197 के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अभियोजन की स्वीकृति आवश्यक है।

2– अतः इस सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–जी 32452/सी–5/सामान्य–527/2020, दिनांक 04–03–2020 की प्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में श्री मुदित सिंह, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–24 एवं 43 के अंतर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–197 के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में यथावश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या–245(1)/81–6–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके उपर्युक्त पत्र संख्या–जी 32452/सी–5/सामान्य–527/2020, दिनांक 04–03–2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

(५) संलग्नक-6

अनुस्मारक

संख्या– 770/81–6–2020–26(पर्या)/2017टी0सी0

प्रेषक,

संजय सिंह
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

पत्रांक ..1614 /क्षे0 / एम एस कैम्प/20
दिनांक .22/10/20 ....

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 19 **अक्टूबर, 2020**

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–490/2019 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2020 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–जी–8860/सी–5/61/ओ0ए0नं0–490/2019/2020 दिनांक 12.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या–245/81–6–2020–26(पर्या)/2017 टी0सी0–1, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा श्री मुदित सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–24 एवं 43 के अंतर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–197 के अंतर्गत सक्षम स्तर से अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में यथावश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 को अवगत कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में कृत कार्यवाही की आख्या अभी तक अप्राप्त है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

EE(CS)/LO-1

भवदीय

(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उनके पत्रांक–जी–33879/सी–5/61/ओ0ए0नं0–490/2019/2020, दिनांक 13.10.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आशीष तिवारी
सदस्य सचिव
21/10/20

आज्ञा से

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

EE/ASO
21/10/2020

File No.81-6001(099)/232/2020-06-,

महत्वपूर्ण/तत्काल/द्वितीय अनुस्मारक
संख्या-378/81-6-2021-26(पर्या)/2017 टी0सी0-1

प्रेषक,
गौरव वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6 लखनऊः दिनांकः ०। जुलाई, 2021

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-490/2019 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2021 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-245/81-6-2020-26(पर्या)/2017 टी0सी0-1, दिनांक 22.05.2020 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या-770/81-6-2020-26(पर्या)/2017टी0सी0-1, दिनांक 19.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा श्री मुदित सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-24 एवं 43 के अंतर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु दण्ड प्रकिया संहित की धारा-197 के अंतर्गत सक्षम स्तर से अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में यथावश्यक अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6 को अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु प्रकरण में अभी तक कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है। चूंकि प्रकरण महत्वपूर्ण है एवं मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों से आच्छादित है।

2- अतः सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या-जी35526/सी-5/सामान्य-527/21, दिनांक 16.06.2021 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में शासन के उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा वांछित आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

Signed by गौरव वर्मा
Date: 29-06-2021 16:02:33
Reason: Approved

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

12/10/21 सं-8

महत्वपूर्ण/तत्काल/तृतीय अनुस्मारक
संख्या-889/81-6-2021-26(पर्या)/2017 टी0सी0-1

प्रेषक,

गौरव वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांकः 11 अक्टूबर, 2021**

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-490/2019 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2021 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-245/81-6-2020-26(पर्या)/2017टी0सी0-1, दिनांक 22.05.2020, एवं अनुस्मारक पत्र संख्या-770/81-6-2020-26(पर्या)/2017 टी0सी0-1, दिनांक 19.10.2020 तथा द्वितीय अनुस्मारक पत्र संख्या-378/81-6-2020-26(पर्या)/2017 टी0सी0-1, दिनांक 01.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा श्री मुदित सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-24 एवं 43 के अंतर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु दण्ड प्रकिया संहित की धारा-197 के अंतर्गत सक्षम स्तर से अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में यथावश्यक अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6 को अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु प्रकरण में अभी तक कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है। प्रकरण महत्वपूर्ण है एवं मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों से आच्छादित है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में शासन के उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा वांछित आख्या/अभियोजन स्वीकृति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

ND/EE/ASO
12/10/21

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संलग्नक-9

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

H48668

पत्रांक संख्या–................../सी–5/ डा०527/2020

दिनांक 06-3-2020
पंजीकृत

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
प्रतापगढ़।

यह कि जनपद– प्रतापगढ़ की आबादी से जनित घरेलू मल–जल लगभग 12.96 एम.एल.डी. का निस्तारण बिना किसी शुद्धिकरण के ही निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से जनित सीवेज उत्प्रवाह के संबंध में दिनांक 22.02.2020 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जनपद–प्रतापगढ़ से जनित घरेलू मल–जल के शुद्धिकरण हेतु 8.95 एम.एल.डी. क्षमता का एस.टी.पी. कार्यदायी संस्था जल निगम, प्रतापगढ़ द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। निरीक्षण के समय सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (एस.टी.पी.) का सिविल कार्य, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य पूर्ण पाया गया, किन्तु सीवेज उत्प्रवाह एस.टी.पी. के इनलेट पर न आने के कारण सीवेज ट्रीटमेन्ट (एस.टी.पी.) का संचालन नही होता पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सीवरेज पाईप लाईन का कार्य पूर्ण नही होने के कारण सीवेज उत्प्रवाह सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (एस.टी.पी.) के इनलेट तक नही लाया जा रहा जिसके कारण एस.टी.पी. का संचालन कार्य नही किया जा सका है।

यह कि वर्तमान में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से जनित सीवेज हेतु माडयूलर एस.टी.पी. स्थापित किया गया है, जिसके अन्तर्गत स्कीन, एयरेशन एवं फिल्ट्रेशन किये जाने की व्यवस्था की गयी है। जिसे दिनांक 15.01.2020 से किया जाना अवगत कराया गया। निरीक्षण के समय सीवेज उत्प्रवाह का आंशिक भाग उक्त व्यवस्था के माध्यम से शुद्धिकृत कर एवं सीवेज उत्प्रवाह का शेष भाग शुद्धिकृत किये बिना सीधे नाले के माध्यम से संई नदी में निस्तारित किया जाता पाया गया।

यह कि निरीक्षण के समय माडयूलर ट्रीटमेन्ट के इनलेट (सिटी ड्रेन), माडयूलर ट्रीटमेन्ट के आउटलेट एवं माडयूलर एस.टी.पी. से बाई पास होता हुआ सीवेज का नमूने का विश्लेषण केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ से किया गया, जो मानको के अनुरूप नही पाया गया।

यह कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्रांक– 847/एस.टी.पी./2012–13 दिनांक 01.02.2013, पत्रांक– 1335/नगर पालिका परिषद/पी/16–17 दिनांक 28.01.2017, पत्रांक–512/एस.टी.पी./पी/2017–18 दिनांक 15.07.2017, पत्रांक– 1305/एस.टी.पी. –स0/2017–18 दिनांक 18.01.2018 तथा पत्रांक– 696/एस.टी.पी./पी./18–19 दिनांक 10.09.2018 द्वारा नोटिस भी प्रेषित किया गया था।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या– 490/2019 में परित आदेश दिनांक 02.01.2020 में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट की स्थापना पेन्डिंग होने तक अन्य विकल्प के माध्यम से सीवेज उत्प्रवाह के पोल्यूशन लोड को कम करते हुए प्रदूषित उत्प्रवाह को जल स्रोत (Water Body) में मिलने से रोकने हेतु आदेश...

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेव साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

पारित किये गये है, जिसका अनुपालन नही पाया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या –593/2017, पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य मं पारित अदेश दिनांक 03.08.2018 के अनुपलान में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी गाइडलाइन "Methodology for Assessing Environmental Compensation" द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने हेतु फार्मुला तैयार किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध दिनांक 10.09.208 से दिनांक 22.02.2020 तक (530 दिवस) के उल्लघंन हेतु रू0 3650 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है। उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी की अनुमति से अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर 3650 लाख (रूपय तीन हजार छः सौ पचास लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यों न अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध दिनांक 10.09.208 से दिनांक 22.02.2020 तक (530 दिवस) के उल्लघंन हेतु रू0 3650 लाख (रूपय तीन हजार छः सौ पचास लाख मात्र) की पर्यावरणी क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार कुल 530 उल्लंघन दिनों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 3650 लाख (रूपय तीन हजार छः सौ पचास लाख मात्र) अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ एवं उसके उत्तरदायी अधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ कि इस पत्र की प्राप्ति सुनिश्चित कराते हुए प्राप्ति की रसीद एवं 15 दिन के उपरान्त अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट ससमय बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

सलग्नक-10

E mail द्वारा
दि० 24-8-2020
को प्राप्त। ह०

कार्यालय नगर पालिका परिषद,बेला–प्रतापगढ़।

पत्रांकः17 न0पा0परि0–2020

दिनांक 17 मार्च 2020

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–5
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक सं0–48688 / सी–5 / सा0–527 / 2020 दिनांक 06.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि दिनांक 16.03.2020 को जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़ द्वारा पृष्ठांकित है तथा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को दिनांक 19.03.2020 को प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के पदनाम के विरुद्ध दिनांक 10.09.2018 से 22.02.2018 तक (530 दिवस) की प्राक्कलित पर्यावरणीय क्षति पूर्ति 3650 लाख रूपये (तीन हजार छः सौ पचास लाख रूपये मात्र) अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में "कारण बताओ" नोटिस निर्गत करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये है। निदेशानुपालन में प्रस्तरवार स्पष्टीकरण निम्नवत् है:–

यह कि विनम्रतापूर्वक अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद,बेला,प्रतापगढ़ सीमान्तर्गत राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद–प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ सीवरेज निस्तारण कार्य हेतु अंकन 1820.75 लाख रूपये की योजना वर्ष 2009–10 में स्वीकृत हुई तथा राज्य द्वारा उ0प्र0 जल निगम प्रतापगढ़ को कार्यदायी संस्था नियुक्त करते हुए सीधे उसके पक्ष में स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की गयी अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 1642.75 लाख रूपये का व्यय कार्यदायी संस्था द्वारा योजना के कार्यो में किया गया जबकि शेष धनराशि को तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा योजना से पृथक कार्यो में व्ययवर्तित कर दिया गया जिस कारण से योजना के कार्य पूर्ण नहीं हो सके। चूंकि उपर्युक्त स्वीकृत योजना में धनावंटन सीधे उ0प्र0 जलनिगम को किया गया इसलिए उसके द्वारा जो भी कार्य कराये गये उसमें नगर पालिका परिषद,बेला–प्रतापगढ़ का न ही कोई नियन्त्रण रहा और न ही कोई हस्तक्षेप रहा फलस्वरूप आज की तिथि में कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जलनिगम प्रतापगढ़ द्वारा योजना न तो पूर्ण की गयी है और न ही योजना को नगर पालिका परिषद को हस्तानान्तरित किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि आज की तिथि में योजना की वर्तमान एवं वास्तविक स्थिति के लिए मात्र उ0प्र0 जलनिगम प्रतापगढ़ ही उत्तरदायी है न कि नगर पालिका परिषद,बेला–प्रतापगढ़। ऐसी दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी बनाया जाना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता।

यह कि प्रतापगढ़ सीवरेज निस्तारण योजना के अपूर्ण रहने के दृष्टिगत मा0 सांसद प्रतापगढ़ के अनुरोध तथा जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के विशेष प्रयास पर कार्यदायी संस्था पैक्सफेड द्वारा अपनी सहयोगी संस्था टिली मेंक्चुअस हाईटेक प्रा0लि0 के माध्यम से बेल्हा देवी मन्दिर के निकट बायो रेमिडिएशन तथा आई.एस.आर. माड्युलर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना की गयी है। परन्तु जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि उपर्युक्त कार्य मा0 सांसद प्रतापगढ़ के अनुरोध तथा जिलाधिकारी प्रतापगढ़ की विशेष रूचि के कारण पैक्सफेड द्वारा कराया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त कार्य की योजना विरचित करते समय उसमें पालिका को कार्यदायी संस्था द्वारा सम्मिलित नही किया गया। विद्युत संयोजन न होने के कारण भी उक्त प्लान्ट पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं हो पा रहा है जिससे योजना के अपेक्षा के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं हुई तथापि नगर पालिका परिषद,बेला–प्रतापगढ़ द्वारा अब अपने स्तर से अवशेष सीवेज उत्प्रवाह को भी शोधित करने हेतु स्कीनिंग मड–वाल्वस बायो रेमिडिएशन आदि का प्रयोग करते हुए सीवेज को शुद्धिकृत करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें सफलता मिलने की प्रबल सम्भावना है।

यह कि नगर पालिका परिषद,बेल्हा–प्रतापगढ़ को क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रायबरेली द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्रांक 847 / एस.टी.पी. / 2012–13 दिनांक 01.02.2013, पत्रांक 1335, नगर पालिका परिष / पी / 16–17 दिनांक 28.01.2017, पत्रांक 512 / एस.टी.पी. / 2017–18 दिनांक 15.07.2017, पत्रांक 1305 / एस.टी.पी.सं0 / 2017–18 दिनांक 18.01.2018 तथा पत्रांक 696 / एस.टी.पी. / पी. / 18.18 दिनांक 10.09.2018 द्वारा प्रेषित समस्त नोटिसे अधोहस्ताक्षरी के पदभार ग्रहण करने की तिथि 06.03.2019 के पूर्व की है जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी को कोई जानकारी नही थी और न ही कार्यालय द्वारा उसको कोई जानकारी उपर्युक्त नोटिसों के सम्बन्ध मे उपलब्ध करायी गयी।

यह कि नगर पालिका परिषद,बेला–प्रतापगढ़ के अधिशासी अधिकारी के रूप में दिनांक 06.03.2019 को पदभार ग्रहण करने के उपरान्त जब से सीवेज निस्तारण योजना के बारे में अधोहस्ताक्षरी को वस्तु स्थिति की जानकारी हुई तब उसने तत्काल प्रकरण के त्वरित निस्तारण के प्रयास आरम्भ किये। जनपद के उच्च अधिकारियों से सीवेज निस्तारण की अधूरी योजना की वास्तविक स्थितियों से समय–समय पर अवगत कराते हुए अपूर्ण योजना को शीघ्र पूर्ण कराने का अनुरोध किया तथा अवशेष नालों से निकलने वाले सीवेज को उपचारित कराये जाने वाले कार्यों को भी कराये जाने का अनुरोध किया। जनपद के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी शासन स्तर पर अपूर्ण सीवरेज योजना को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु समुचित पत्राचार किया गया फलस्वरूप प्रभावी कार्यवाही शासन स्तर पर प्रचलित है। पत्र संलग्न है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाक 02.01.2020 के आलोक में ही सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के संचालित होने तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रदूषण को कम करने के दृष्टिगत आबादी से जनित सीवेज के उत्प्रवाह को शोधित करने के उद्देश्य से बायोरेमिडिएशन का कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 जलनिगम प्रतापगढ़ से आगणन तैयार कराते हुए निविदा आदि की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है जो प्रकियाधीन है तथापि निविदा प्राप्त फर्म को कार्यादेश जारी होने तक ग्रीन वे टेक्नालाजी गाजियाबाद के तकनीकी सहयोग से अपने संसाधनों से चार नालों पर सीवेज उत्प्रवाह को उपचारित करने हेतु बायो रेमिडिएशन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है जिसमें स्कीनिंग मड़ वाल्वस, बालू की बोरियों से बांध बनाकर बायोरिमिडिएशन कर जल शोधन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही बायो रेमिडिएशन आई. एस.आर. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को निर्वाध रूप से संचालित करने हेतु फैक्स फेड से सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि विद्युत विभाग के समक्ष विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया जा चुका है। विद्युत संयोजन प्राप्त होते ही संयंत्र का संचालन निर्वाध रूप से होने लगेगा।

यह कि जहॉ। तक अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद,बेला–प्रतापगढ़ के विरूद्व 3650 लाख रूपये पर्यावरणीय क्षति की पूर्ति अधिरोपित किये जाने का प्रश्न है तत्सम्बन्ध में अति विनम्रता पूर्व अवगत कराना चाहता हूँ कि नगर पालिका परिषद,बेला–प्रतापगढ़ एक "सी" श्रेणी का नगर–निकाय है जिसके वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित है और वह किसी भी दशा में प्राक्कलित क्षति–पूर्ति कर पाने में समर्थ नहीं है।

उपर्युक्त प्रस्तरवार स्पष्टीकरण का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा सीवेज उत्प्रवाह को परिशोधित करने हेतु अपने स्तर से सतत् हर सम्भव सर्वोत्तम प्रयास किये गये है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के प्रचलित दिशा–निर्देशों का समादार भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया है और भविष्य में उनका अनुपालन करते रहने के आश्वासन के साथ प्रकरण को इसी स्तर पर निक्षेपित करते हुए प्राक्कलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को क्षमा करने की याचना के साथ स्पष्टीकरण सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,बेल्हा–प्रतापगढ़।

प्रतिलिपिः–
(1) सचिव, नगर विकास उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(2) सदस्य सचिव महोदय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
(3) जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
(4) क्षेत्राधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,बेल्हा–प्रतापगढ़।

सदस्य सचिव – ।।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–G 33529 /सी–5/सामान्य -527/2020

दिनांक 27/08/2020

पंजीकृत

सेवा में,

सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 490/2019 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2020 आदेश के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 490/2019 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2020 आदेश के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अधिषाशी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को पत्र संख्या एच 48668/सी–5/सा0–527/2020 दिनॉक 06–3–2020 के माध्यम से प्रतापगढ़ सीमान्तर्गत अशुद्धिकृत सीवेज सीधे सई नदी में निस्तारित करने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु तैयार की गई कार्यप्रणाली के अनुसर रू0 3650.0 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस का संदर्भ लेना चाहें। **(सुलभ संदभ हेतु छायाप्रति संलग्न)**

इस संबंध में अधिषाशी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ का पत्र संख्या।700न0पा0परि0–2020 दिनॉक 27.3.2020, ई–मेल के माध्यम से बोर्ड में दिनॉक 24.8.2020 को प्राप्त हुआ है, का भी संदर्भ लेना चाहें। अधिषाशी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से प्राप्त पत्र दिनॉक 27.3.2020 की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि इस संबंध में अपनी समयक् टिप्पणी बोर्ड को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना चाहें ताकि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन को सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिषाशी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर दिनॉक 27.3.20 का परीक्षण कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित एक सप्ताह में बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Kha
Gomti Nagar, Lucknow-2260
e-mail: info@uppcb.c
Web site www.uppcb.c

पत्रांक ..1609/911 ; एम एस
दिनांक .22/10/20

संख्या– 771 / 81–6–2020–26(पर्या) / 2017टी0सी0

प्रेषक,

संजय सिंह
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 **लखनऊः दिनांकः** 19 **अक्टूबर, 2020**

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–490 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–जी–33879 / सी–5 / 61 / ओ0ए0नं0–490 / 2019 / 2020, दिनांक 13.10.2020 (छायाप्रति संलग्नकों सहित संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– अवगत कराना है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उक्त पत्रों के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या–490 / 2019 टी0एस0सी0 बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 02.01.2020 में पारित आदेश के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से सीमान्तर्गत अशुद्धिकृत सीधे सई नदी में निस्तारित करने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु तैयार की गयी कार्य प्रणाली के अनुसार रूपये 3650.00 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर के क्रम में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 27.03.2020 की प्रति बोर्ड द्वारा संलग्न कर प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अद्यतन नगर विकास विभाग से सूचना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अप्राप्त है।

अग्रेतर प्रकरण में यह भी अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–490 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2020 का मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"........The State PCB is at liberty to initiate prosecution and recover compensation following due process of law...."

CEO(C-5)/L0

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–490 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर अधिरोपित 3650.00 लाख की

Imp
23/10/2020

–2–

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध में तत्काल अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ई–मेल आई0डी0–info@uppcb.com) को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:–यथोक्त।

भवदीय

(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उनके पत्रांक–जी–33879/सी–5/61/ए0ओ0नं0–490/2019/2020, दिनांक 13.10.2020 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H62569/सी–5/सा0-527/21 दिनांक 21/6/21

पंजीकृत

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
प्रतापगढ़।

यह कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ की आबादी से जनित घरेलू मल–जल लगभग 12.96 एम.एल.डी. का निस्तारण शुद्धिकृत किये बिना सई नदी में किये जाने के कारण बोर्ड के पत्रांक–एच 48668/सी–5/सा0–527/2020 दिनांक 06.03.2020 द्वारा नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध रूपये 3650 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 27.03.2020 को प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया। नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा वर्तमान में सीवेज को शुद्धिकृत करने के प्रयास किये जाने का उल्लेख करते हुए नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध अधिरोपित उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेप किये जाने का अनुरोध किया गया है।

यह कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से जनित सीवेज को शुद्धिकृत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित नगर पालिका परिषद/स्थानीय निकाय का है, परन्तु विगत वर्षो में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा प्रदूषित सीवेज को शुद्धिकृत किये बिना सई नदी में निस्तारित किये जाने के कारण सई नदी की जल गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से जनित सीवेज को शुद्धिकृत कर मानकों के अनुरूप निस्तारित किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से दिनांक 01.02.2013, 28.01.2017, 15.07.2017, 18.01.2018 एवं 10.09.2018 को नोटिस प्रेषित किये गये, परन्तु उसका अनुपालन तत्समय में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा नही किया गया। नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर दिनांक 27.03.2020 से स्वतः स्पष्ट है कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 22.02.2020 तक प्रदूषित सीवेज को शुद्धिकृत किये जाने का पर्याप्त प्रयास नही किया गया।

यह कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2020 के संबंध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से प्राप्त प्रतिउत्तर दिनांक 27.03.2020 की प्रति संलग्न कर सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 27.08.2020 एवं पुनः सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 19.08.2020 को प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित किया गया कि इस संबंध में सम्यक टिप्पणी बोर्ड को उपलब्ध कराना चाहें, ताकि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके, परन्तु तद्दिनॉक तक नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन से उक्त के संबंध में कोई आख्या बोर्ड को प्राप्त नही हुई।

.....2

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली द्वारा अपने पत्र संख्या–63/ओ0ए0 नं0–490/2019/आर/21–22 दिनांक 17.06.2021 द्वारा नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को अशोधित सीवेज को सई नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध रूपये 3650 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु दिनांक 06.03.2020 को जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली द्वारा प्रेषित संस्तुति दिनांक 17.06.2021 एवं उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोनदोपरान्त नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को बोर्ड के पत्रांक–एच 48668/सी–5/सा0–527/2020 दिनांक 06.03.2020 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है:–

1. नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध दिनांक 10.09.2018 से दिनांक 22.02.2020 तक (कुल 530 दिवस) के उल्लंघन हेतु रूपये 3650 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

अतः उपरोक्त के संबंध में इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 3650 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–**701502010002104** आई0एफ0एस0 कोड– **UBIN0570150** जमा कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा भू–राजस्व की भॉति पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूल करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ एवं उसके उत्तरदायी अधिकारियों को होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अतिरिक्त सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ कि इस पत्र की प्राप्ति सुनिश्चित कराते हुए प्राप्ति की रसीद एवं 15 दिन के अन्दर नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बोर्ड के पक्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

संलग्नक-14

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सी- ब्लॉक, इंदिरा नगर आवास विकास कॉलोनी,
रायबरेली-229001 (उ0 प्र0)

पत्रांक:-67 /O.A. 490/2019/R/2021-22 दिनांक:21/06/2021

सेवा में,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
प्रतापगढ़।

पंजीकृत

विषय:- पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 06.03.2020 को नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़ को जारी कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में नगर विकास विभाग से कोई सम्यक आख्या बोर्ड को प्राप्त नही होने के कारण आपको निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या H62569/सी-5/सा0 527/21 दिनांक 21/06/2021 के माध्यम से रु0 3650 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है उक्त आदेश की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है की पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर अधिरोपित क्षतिपूर्ति दिए गए खाते में जमा कराते हुए बोर्ड मुख्यालय एवं इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करे।

भवदीय

(अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1- जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
2-मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत-5) उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बेला–प्रतापगढ़।

पत्रांकः 27 / न0पा0परि0–2021

दिनांक 23 जून, 2021

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा याचिका संख्या–490/2019, टी0एस0 सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 02.01.2020 के आलोक मे नगर पालिका परिषद, बेला–प्रतापगढ़ पर आबादी से जनित घरेलू मल जल को बिना शुद्धिकृत किये सई नदी मे प्रवाहित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रायबरेली के माध्यम से पत्र संख्या–एच48668/सी–5,सा0–527/20, दिनांक–06.03.2020 के द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन मे अधोहस्ताक्षरी/प्रार्थी द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–1700/न0पा0परि0–2020, दिनांक–27मार्च, 2020 के माध्यम से तथ्यपरक स्पष्टीकरण/आख्या क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियत्रण बोर्ड को प्रेषित की गयी थी, जिसकी एक प्रति शासन को भी प्रेषित की गयी थी, परन्तु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पत्रांक–एच62569/सी–5, सा0–527/21, दिनांक–21जून, 2021 के माध्यम से आदेश पारित करते हुए पर्यवरणीय क्षतिपूर्ति अकन–3.650लाख रूपये अधिरोपित करते हुए 15दिवस के अंदर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के खाते में जमा कराने हेतु आदेशित किया गया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड द्वारा अपने उपर्युक्त आदेश मे यह स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग से कोई टिप्पणी नही प्राप्त हुई है। अतएव कारण बताओ नोटिस दिनांक–06.03.2020 को पुष्ट किया जाता है। विनम्रतापूर्वक अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद, बेला–प्रतापगढ एक छोटा स्थानीय निकाय है तथा इसके वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित है। ऐसी दशा में मात्र 15 दिवस के अदर इतनी भारी भरकम क्षतिपूर्ति की अदायगी हेतु आदेशित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नही होता है। यद्यापि की उपर्युक्त आदेश के सम्बन्ध मे विभाग के उच्चाधिकारियो को अवगत कराते हुए उनसे मार्ग दर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अस्तु मार्ग दर्शन प्राप्त होने तक आदेश के कियान्वयन को स्थागित रखना न्याय संगत प्रतीत होता है। अधोहस्ताक्षरी/प्रार्थी द्वारा अपने उत्तर मे स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि प्रकरण मे उसके द्वारा कभी कोई शिथिलता नही बरती गयी है तथा वर्तमान में उत्पन्न परिस्थितियो के लिए नगर पालिका परिषद, बेला–प्रतापगढ़ उत्तरदायी नही है, क्योकि नगरक्षेत्र में आबादी से जनित मल–जल निस्तारण हेतु प्रतापगढ जलोत्सारण योजना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत करने के उपरात उत्तर प्रदेश जलनिगम प्रतापगढ के पक्ष मे स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा आज की तिथि तक उत्तर प्रदेश जलनिगम, प्रतापगढ द्वारा योजना को न ही पूर्ण किया गया है और न ही नगर पालिका परिषद, बेला–प्रतापगढ को हस्तगत किया गया है, तथापि अधोहस्ताक्षरी/प्रार्थी के संज्ञान मे जब से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के दिशा निर्देश आये है तभी से प्रार्थी/अधोहस्ताक्षरी द्वारा सीमित संसाधनो के बावजूद घरेलू मल–जल के उपचार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए नगर के प्रमुख चार नालो पर बायोरेमिडिएशन संयत्र के माध्यम से शोधित जलोत्सिर्जन सुनिश्चित कराया गया है तथा परिणाम स्वरूप जॉच जल द्वारा की गयी जॉच दिनांक–19.03.2020 (प्रथम), 25.01.2021 (द्वितीय) एव 08.06.2021(तृतीय) द्वारा प्राप्त सैम्पलिंग आख्या बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0 एव टी0एस0एस0 में जल का शोधन लगभग निर्धारित मानक के अनुरूप पाया गया है। अधोहस्ताक्षरी/प्रार्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस के उत्तर मे इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जलोत्सारण योजना जिससे उत्तर प्रदेश जल निगम प्रतापगढ द्वारा पूर्ण किया जाना था, पूर्ण न होने के कारण ही वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है और इसके लिए नगर पालिका परिषद, बेला–प्रतापगढ को उत्तरदायी बनाया जाना न्याय की नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत प्रतीत होता है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उपर्युक्त परिस्थितियो के आलोक मे नगर पालिका परिषद, बेला–प्रतापगढ़ पर क्षेत्राधिकारी रायबरेली द्वारा प्रेषित सस्तुति दिनांक–17.06.2021 के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश जिसमे अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि अंकन–3,650लाख रूपये को जमा कराने हेतु आदेशित किया गया है को अपास्त करते हुए नगर पालिका परिषद, बेला–प्रतापगढ को अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से मुक्त करने का कष्ट करें।

प्रार्थी

(अधिशासी अधिकारी)
नगर पालिका परिषद, बेला–प्रतापगढ़।

संलग्नक-16

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक/संख्या–H 66609 /सी–5/STP/सा0-527/21 दिनांक 4-10-21

पंजीकृत

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
प्रतापगढ़।

विषयः नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा मानकों के विपरीत सीवेज निस्तारण के कारण बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ की आबादी से जनित घरेलू मल–जल लगभग 12.96 एम.एल.डी. का निस्तारण शुद्धिकृत किये बिना सई नदी में किये जाने के कारण बोर्ड के पत्रांक–एच 62569/सी–5/सा0–527/21 दिनांक 21.06.2021 द्वारा आपके विरूद्ध रूपये 3650 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2020 की पुष्टि करते हुए 15 दिन के अन्दर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बोर्ड के पक्ष में जमा करने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ का प्रतिउत्तर दिनांक 23.06.2021 प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया था।

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली से आख्या प्राप्त की गयी। क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली के पत्र संख्या–300/एन.जी.टी. ओ0ए0 490/आर/2021–22 दिनांक 24.09.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर पालिका परिषद क्षेत्र से जनित प्रदूषित सीवेज उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये जाने का उत्तरदायित्व नगर पालिका का है एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का ऑकलन भी उस अवधि में किया गया है। जिस अवधि में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई प्रयास नही किया गया था। अतः नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा अशोधित सीवेज उत्प्रवाह को सई नदी में निस्तारित किये जाने के कारण नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध अन्तिम नोटिस दिनांक 10.09.2018 से निरीक्षण दिनांक 22.02.2020 तक अर्थात 530 दिवस के उल्लंघन के कम में रूपये 3650 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है। अतः बोर्ड के पत्र संख्या–एच 62569/सी–5/सा0–527/21 दिनांक 21.06.2021 द्वारा नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 3650 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) उचित है। अतः नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा अध्यक्ष महोदय को प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 23.06.2021 सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त को निस्तारित किया जाता है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि बोर्ड के पत्रांक–एच 62569/सी–5/सा0–527/21 दिनांक 21.06.2021 द्वारा नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 3650 लाख (रूपये

...3

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) तत्काल बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या– **701502010002104** आई0एफ0एस0 कोड– **UBIN0570150** जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 3650 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) तत्काल बोर्ड के पक्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

सदस्य सचिव